नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 04, अंक 212, नई दिल्ली, शुक्रवार 06 नवम्बर 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

धनतेरस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

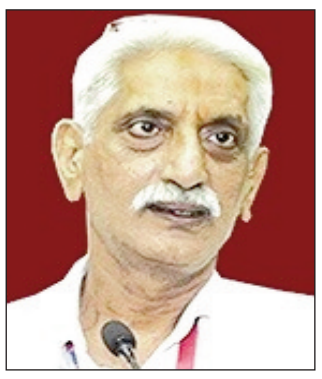
03 वसुबारस – दीपावली का मंगलमय शुभारंभ!

06 चौपाल से संसद तक : नारी शक्ति की बुलंद आवाज़

08 आईआईटी कानपुर एवं बीआईटी मेसरा के बीच समझौता अब मिलकर करेंगें रिसर्च

एक्सपायर्ड PUCC लेकर पेट्रोल पंप गए, तो ANPR कैमरा काट देगा चालान!

'नो PUC, नो फ्यूल' अब सिर्फ नारा नहीं, व्यवस्था है - 11 महीने वाला नियम अपनाइए, 12वें महीने का इंतजार मत कीजिए



- रिपोर्ट : विशेष संवाददाता, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

मुख्य तथ्य - एक दृष्टि में

- क्या है PUCC: Pollution Under Control Certificate - वाहन के धुएं की जांच का प्रमाण पत्र

- कानूनी आधार: केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 115(7) और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2)

- जुर्माना: धारा 190(2) के तहत अधिकतम 10,000 रुपये तक जुर्माना, कैद और लाइसेंस निलंबन का भी प्रावधान - वास्तविक चालान राशि राज्य के अनुसार अलग हो सकती है

- नई व्यवस्था: पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरा नंबर प्लेट स्कैन करके Parivahan डेटाबेस से PUCC जांचता है

- नो PUC, नो फ्यूल: दिल्ली-एनसीआर में 1 अक्टूबर 2026 से सख्ती से लागू, दिल्ली में दिसंबर 2025 से ही शुरू

- जनहित सलाह: PUCC को 12 महीने नहीं, 11 महीने का मानकर चलें, एक्सपायरी से पहले ही रिन्यू कराएं

प्रस्तावना - अब पुलिस नहीं, कैमरा पकड़ेगा पहले PUCC चेक करने के लिए पुलिस का रुकना पड़ता था। अब जमाना बदल गया है।

जैसे ही आपकी गाड़ी पेट्रोल पंप पर पहुंचेगी, ANPR - Automatic Number Plate Recognition कैमरा आपकी नंबर प्लेट को स्कैन करेगा, Parivahan के डेटाबेस से मिलाएगा और अगर आपकी PUCC एक्सपायर्ड निकली, तो सिस्टम अपने आप ई-चालान जनरेट कर सकता है। आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा और मोबाइल पर चालान का मैसेज भी आ जाएगा।

इसीलिए परिवहन विशेष की अपील है - PUCC की वैधता को 11 महीने मानिए। 12वां महीना आने से पहले ही रिन्यू करा लीजिए।

क्या है पूरा नियम? - विस्तृत जानकारी

क. PUCC क्यों जरूरी है?

PUCC यह प्रमाण है कि आपके वाहन से निकलने वाला धुआं तय सीमा के अंदर है। पेट्रोल वाहन में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, डीजल वाहन में धुएं की घनता जांची जाती है।

यह सिर्फ कागज नहीं, यह हवा की शुद्धता और सबके स्वास्थ्य से जुड़ा दस्तावेज है। नियम 115(7) के अनुसार, पहली रजिस्ट्रेशन के एक साल बाद हर मोटर वाहन के पास वैध PUCC होना अनिवार्य है।

ख. PUCC कितने समय के लिए वैध है? इसमें लोगों को सबसे ज्यादा भ्रम है।

- नई गाड़ी: पहली रजिस्ट्रेशन से 1 साल तक PUCC की जरूरत नहीं, या डीलर द्वारा दिया प्रमाण मान्य

- BS-IV और BS-VI वाहन: आमतौर पर 12 महीने के लिए वैध

- पुराने वाहन / BS-III और पहले के: कई राज्यों में 6 महीने के लिए वैध

- कमर्शियल वाहन: नए पर 1 साल, बाद में 6 महीने के अंतर पर जांच का प्रावधान कई जगह लागू

ध्यान दें: जुलाई 2026 में मंत्रालय ने PUCC 3.0 का ड्राफ्ट प्रस्ताव रखा था - BS-VI निजी वाहनों के लिए 3 साल की वैधता का प्रस्ताव। लेकिन अक्टूबर 2026 तक कोई अंतिम अधिसूचना नहीं आई, इसलिए अभी पुराना 12 महीने / 6 महीने वाला नियम ही लागू है।

इसलिए कागज पर लिखी एक्सपायरी डेट को ही अंतिम मानें, अंदाजे पर न चलें।

ग. ANPR और 'नो PUC, नो फ्यूल' कैसे काम करता है? दिल्ली में सभी लगभग 500 फ्यूल स्टेशनों पर ANPR कैमरे लगे हैं। एनसीआर में 1,041 फ्यूल स्टेशनों पर यह व्यवस्था फैलाई जा रही है, जिसमें गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद समेत यूपी के 8 जिले और हरियाणा-राजस्थान के जिले शामिल हैं।

हरियाणा एनसीआर में 1 अक्टूबर से नियम लागू हुआ - पेट्रोल, डीजल और सीएनजी स्टेशन को रिफ्यूलिंग से पहले PUCC जांचना अनिवार्य है। CAQM के निर्देश 101 के तहत यह कार्रवाई हो रही है।

नोएडा-गाजियाबाद में भी ANPR कैमरे लगाने का काम तेजी से हुआ, ताकि पंप कर्मी को मैन्युअल एंट्री न करनी पड़े। कैमरा अपने आप नंबर पकड़ेगा और PUCC वैध है या नहीं, यह बता देगा।

प्रक्रिया:

1. गाड़ी पंप पर पहुंची
2. ANPR ने नंबर प्लेट स्कैन की
3. Parivahan डेटाबेस से PUCC स्टेटस मिला
4. वैध है - फ्यूल मिलेगा
5. एक्सपायर्ड है - फ्यूल से इनकार, रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज, और नियमानुसार ई-चालान की प्रक्रिया

घ. 10,000 रुपये का चालान - सच क्या है? मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) में अधिकतम 10,000 रुपये तक जुर्माना, 3 महीने तक कैद और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की सूची में भी बिना PUCC के लिए 10,000 रुपये का उल्लेख है।

लेकिन यह समझना जरूरी है - हर राज्य में हर बार 10,000 रुपये ही नहीं कटता। अधिकांश राज्यों में कंपाउंडिंग राशि 1,000 रुपये पहली बार और 2,000 रुपये दूसरी बार है। दिल्ली और ओडिशा जैसे राज्यों में सख्ती ज्यादा है।

इसलिए लेख का उद्देश्य डराना नहीं, सावधान करना है। 1,000 का चालान भी क्यों भुगतें, जब 60-100 रुपये में PUCC बन जाती है?

ङ. चालान बकाया हो तो क्या अटकता है? वाहन मालिकों का अनुभव है कि बकाया चालान होने पर कई बार आगे की प्रक्रिया में अड़चन आती है।

- PUCC सेंटर पर नया प्रमाण बनाने से पहले सिस्टम में पुराना चालान दिख सकता है
- इंश्योरेंस रिन्यूअल के समय भी कंपनी या एजेंट बकाया चालान को लेकर सवाल पूछ सकते हैं
- ओनरशिप ट्रांसफर, फिटनेस, परमिट जैसे कामों में लंबित चालान अड़चन बनता है, क्योंकि चालान वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर पर दर्ज होता है, व्यक्ति पर नहीं

इसलिए चालान को टालें नहीं, Parivahan / http://echallan.parivahan.gov.in पर जांचकर समय पर निपटाएं। यदि चालान गलत लगा है, तो नियमानुसार आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार भी है।

11 महीने वाला नियम - सबसे सुरक्षित फार्मूला परिवहन विशेष का जनहित फार्मूला बहुत सरल है:

PUCC की वैधता 12 महीने है, तो आप उसे 11 महीने मान लीजिए।

- महीना 10 पूरा होते ही: Parivahan / mParivahan ऐप पर स्टेटस चेक करें
- महीना 11 की शुरुआत में: नजदीकी अधिकृत PUC सेंटर पर जाकर टेस्ट कराएं
- रिमाइंडर लगाएं: मोबाइल कैलेंडर में एक्सपायरी से 30 दिन पहले, 15 दिन पहले और 7 दिन पहले - तीन रिमाइंडर
- प्रमाण संभालकर रखें: डिजिटल कॉपी और प्रिंट दोनों रखें, गाड़ी के कागजों के साथ

इससे आप कभी भी ANPR के सामने एक्सपायर्ड PUCC लेकर खड़े नहीं होंगे।

PUCC कैसे बनवाएं? - स्टेप बाय स्टेप

1. नजदीकी अधिकृत PUC सेंटर पर जाएं - ज्यादातर पेट्रोल पंप और वर्कशॉप पर उपलब्ध
2. RC और वाहन साथ लेकर जाएं
3. सेंटर पर एग्जॉस्ट टेस्ट होगा - 5 से 10 मिनट का काम
4. पास होने पर प्रमाण तुरंत Parivahan पोर्टल पर अपडेट होगा
5. शुल्क राज्य के अनुसार - दिल्ली में दोपहिया के लिए लगभग 60 रुपये, चारपहिया के लिए लगभग 80 रुपये (GST अलग से हो सकता है)

अगर फेल हो जाएं तो? घबराएं नहीं। सर्विसिंग कराएं, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, इंजन ट्यूनिंग जांच कराएं, फिर दोबारा टेस्ट कराएं।

मुख्य बिंदु - जनता के लिए

क. पेट्रोल पंप अब चेकपोस्ट है: फ्यूल भरवाने से पहले PUCC तैयार रखें। पंप कर्मी से बहस का कोई फायदा नहीं, नियम ऊपर से आया है।

ख. छोटा खर्च, बड़ा बचाव: 60-100 रुपये का PUCC, 10,000 रुपये तक के चालान, फ्यूल से इनकार और मानसिक परेशानी से बचाता है।

ग. पर्यावरण भी, जेब भी: PUCC सिर्फ चालान से नहीं, प्रदूषण से भी बचाता है। वाहन सही माइलेज देगा, इंजन स्वस्थ रहेगा।

घ. जिम्मेदार नागरिक बनें: सड़क सुरक्षा सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं है। साफ हवा भी सड़क सुरक्षा का ही हिस्सा है।

संपादकीय टिप्पणी कानून का उद्देश्य चालान काटना नहीं, हवा साफ रखना है। ANPR कैमरा किसी से दुश्मनी नहीं निभाता, वह सिर्फ डेटाबेस पढ़ता है।

यदि हम 11 महीने वाला नियम अपना लें, तो न चालान होगा, न पंप पर शर्मिंदगी होगी, न इंश्योरेंस और PUCC के काम अटकेंगे।

परिवहन विशेष परिवार की ओर से अपील - आज ही अपनी गाड़ी की PUCC की एक्सपायरी डेट चेक कीजिए। अगर 30 दिन से कम बची है, तो कल पर मत टालिए, आज ही रिन्यू कराइए। सुरक्षित यात्रा ही सुखी यात्रा है, और स्वच्छ हवा ही स्वस्थ जीवन है।

- संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक



चावड़ी बाजार में ताश के पत्तों की तरह ढही निर्माणाधीन इमारत

2 की मौत - मलबे में अब भी दबे होने की आशंका

गली सितारा में सुबह 9:50 बजे तीसरी मंजिल का लेंटर डालते वक्त हुआ हादसा - पुलिस ने पहले ही MCD को दी थी अवैध निर्माण की सूचना, फिर भी नहीं रुका काम

चावड़ी बाजार पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, हादसे वाली जगह का लिया जायजा - संकरी गली में अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण करती मुख्यमंत्री।

रिपोर्ट: केके छाबड़ा

अजमेरी गेट के नजदीक चावड़ी बाजार में तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी है, हादसा गुरुवार, 5 नवंबर 2026 की सुबह करीब 9:50 बजे गली सितारा / गली सत्तारा, शीश महल, चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास हुआ।

> संपादकीय नोट: शुरुआती दौर में 15 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई थी, बाद में पुलिस ने 6-7 लोगों के फंसे होने और 3 लोगों के रेस्क्यू की पुष्टि, "कई लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू जारी"

तस्वीर क्या कहती है - फोटो से जुड़ा विवरण साथ में प्रस्तुत तस्वीर इस हादसे की सबसे बड़ी सच्चाई को बिना शब्दों के बयां कर देती है।

1. संकरी गली ही सबसे बड़ी चुनौती: तस्वीर में साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को भी मलबे वाली जगह तक पहुंचने के लिए मात्र 3-4 फुट की संकरी गली से होकर गुजरना पड़ा। दोनों तरफ दीवारें सटी हुई हैं। यही वजह है कि हादसे के बाद क्रेन और भारी मशीनें अंदर नहीं जा सकीं और रेस्क्यू टीमों को हाथों से मलबा हटाना पड़ा।

2. सीएम का मौके पर जायजा: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पीली हेलमेट पहने अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ खुद गली में उतरकर हादसे वाली जगह का निरीक्षण करती दिख रही हैं। उनके साथ दिल्ली सरकार और MCD के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। दोपहर करीब 2 बजे उन्होंने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू की प्रगति, घायलों के इलाज और आसपास की इमारतों की स्थिति की जानकारी ली।

3. अधिकारियों की गंभीरता: तस्वीर में पीछे अधिकारी हाथ में हेलमेट लिए हुए हैं और दीवारों की स्थिति को देखते हुए चल रहे हैं। यह दर्शाता है कि बगल की इमारतों में आई दरारों को लेकर भी प्रशासन चिंतित है और उन्हें खाली कराने / सील करने की कार्रवाई पर नजर रखी जा रही है।

फोटो निष्कर्ष: यह तस्वीर सिर्फ एक दौरे की नहीं है, बल्कि पुरानी दिल्ली की उन गलियों की हकीकत है जहां अवैध निर्माण, संकरी रास्ते और जर्जर इमारतें हर दिन जान का जोखिम बनी हुई हैं।

तथ्य एक नज़र में

बिंदु - पुष्ट विवरण

स्थान गली सितारा (गली सत्तारा), शीश महल, चावड़ी बाजार, अजमेरी गेट - चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली

समय 5 नवंबर 2026, सुबह करीब 9:50 बजे

इमारत 50 वर्ग मीटर प्लॉट पर 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत, कोई स्वीकृत बिल्डिंग प्लान नहीं

कैसे गिरी तीसरी मंजिल पर स्लैब / लेंटर डालते वक्त, सपोर्ट हटाते वक्त ढांचा भरभराकर गिरा

मृतक 2 की पुष्टि, पहचान अभी नहीं हुई

घायल / रेस्क्यू 3 लोगों को मलबे से निकाला गया, 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने पहले अस्पताल पहुंचाया, लोकनायक अस्पताल में इलाज

दबे होने की आशंका शुरुआती अनुमान 15, बाद में पुलिस के अनुसार 6-7, रेस्क्यू जारी

निर्माण अवधि पिछले 2-4 माह से निर्माण चल रहा था

मुख्य बिंदु - क्या हुआ?

1. लेंटर डालते वक्त ढहा ढांचा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 3-4 लेंटर पहले ही डाले जा चुके थे, सभी एक साथ गिर गए। MCD के अनुसार काम 15 दिन पहले रोका गया था, लेकिन मजदूर छत के नीचे का सपोर्ट सिस्टम हटा रहे थे, तभी हादसा हुआ। अधिकारियों का कहना है कि गैर-इंजीनियर्ड मटीरियल इस्तेमाल हुआ था और वह ठीक से सेट नहीं हुआ था।

2. 3-4 फुट की संकरी गली ने रोका रेस्क्यू इमारत तीन तरफ से दूसरी इमारतों से सटी थी। गली मात्र 3-4 फुट चौड़ी है, इसलिए भारी मशीनें, क्रेन अंदर नहीं जा सकीं। 6 फायर यूनिट, NDRF, दिल्ली पुलिस, DFS और MCD की टीमें हाथों से मलबा हटाकर सर्च कर रही हैं।

3. बगल की इमारतों में दरारें, खाली कराया गया हादसे के बाद आसपास की इमारतों में दरारें आ गईं। उन्हें खाली कराकर सील किया गया है।

कार्रवाई - अब तक क्या हुआ?

- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दोपहर करीब 2 बजे मौके पर पहुंचीं। उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ FIR, जांच के आदेश, घायलों के सर्वोत्तम इलाज और प्रभावित परिवारों को अनुग्रह सहायता के निर्देश दिए।
- MCD ने JE अमन दलाल और AE मोहम्मद नईम को निलंबित किया।
- DCP (सेंट्रल) रोहित राजबीर सिंह ने कहा - निर्माण अवैध था, पुलिस ने पहले ही MCD को लिखित सूचना दी थी। मालिक और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है।
- साइट को सील कर दिया गया है, सर्च और स्निफर डॉग से तलाश जारी है।

विभागीय गलतियों का विश्लेषण - यह हादसा नहीं, सिस्टम की विफलता है

1. बिना नक्शे के निर्माण कैसे चला? 50 गज के प्लॉट पर बिना स्वीकृत प्लान के 3 मंजिलें कैसे खड़ी हो गईं? MCD का दावा है कि कोई शिकायत नहीं मिली। सवाल यह है कि पुरानी दिल्ली जैसे घने इलाके में 3 माह तक चल रहे निर्माण पर निगम की नजर क्यों नहीं पड़ी?

2. पुलिस की चेतावनी के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं? DCP का बयान सबसे गंभीर है - पुलिस ने MCD को पहले ही अवैध निर्माण रोकने के लिए पत्र लिखा था। पत्र लिखने और कार्रवाई के बीच की खामोशी ही आज 2 जानें ले गई।

3. निलंबन ही काफी है? हर हादसे के बाद JE-AE का निलंबन एक रस्म बन गई है। असली सवाल - जिस अधिकारी ने 3 माह तक निर्माण नहीं रोका, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ निलंबन तक सीमित रहेगी या आपराधिक लापरवाही की जांच होगी?

4. मैटिरियल और तकनीक की अनदेखी बिना इंजीनियर की देखरेख, बिना क्योरिंग, बिना सपोर्ट के लेंटर डालना - यह मजदूरों की नहीं, ठेकेदार और निगरानी तंत्र की विफलता है।

5. संकरी गलियों में निर्माण की अनुमति का सवाल 3-4 फुट की गली में भारी निर्माण सामग्री कैसे पहुंची? क्या पुरानी दिल्ली के लिए अलग बिल्डिंग कोड, लोड बेयरिंग जांच और पड़ोसी इमारतों की सुरक्षा रिपोर्ट अनिवार्य नहीं होनी चाहिए?

6. यह पहला हादसा नहीं - पैटर्न बन गया है यह 2 माह में दिल्ली में चौथा घातक हादसा है - 6 सितंबर सत्य निकेतन में 7 मौतें, 7 अक्टूबर सीमापुरी में 4 मौतें, 25 अक्टूबर हर्ष विहार / मिलन गार्डन में 2 मौतें, और अब चावड़ी बाजार में 2 मौतें। इसके अलावा 31 अक्टूबर को चांदनी चौक का 160 साल पुराना MCD टाउन हॉल का हिस्सा भी गिरा था।

संपादकीय निष्कर्ष चावड़ी बाजार का हादसा किसी एक ठेकेदार की गलती नहीं है। यह उस व्यवस्था की पोल खोलता है, जहां कागज पर निर्माण रुका होता है, जमीन पर चलता रहता है, पुलिस लिखती रहती है और निगम देखता रहता है। जब तक अवैध निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ निचले स्तर के JE-AE पर डालकर मामला निपटाया जाएगा, तब तक हर 2-3 हफ्ते में दिल्ली किसी न किसी गली में मलबा हटाती रहेगी।

जनहित अपील: पुरानी दिल्ली के निवासियों से अनुरोध है कि अपने आसपास हो रहे बिना नक्शे के निर्माण की सूचना तुरंत MCD, पुलिस और परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक को दें। संकरी गली में रह रहे लोग अपनी इमारत में दरार दिखे तो तुरंत खाली करें और प्रशासन को सूचित करें।

स्रोत: Delhi Police, DFS, MCD, मुख्यमंत्री कार्यालय - 5 नवंबर 2026 की रिपोर्ट्स के आधार पर। मृतकों की संख्या और फंसे लोगों का आंकड़ा रेस्क्यू जारी रहने के कारण बदल सकता है।

फोटो साभार: मौके से प्राप्त तस्वीर - सीएम के दौरे के दौरान





क्या आप चाय को ज्यादा देर तक उबालते हैं?

सावधान ! चाय पीने की गलत आदतें आपकी सेहत पर असर डाल सकती हैं।

पिंकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता

सर्दियों का मौसम आते ही चाय का सेवन बढ़ जाता है। कई लोगों की सुबह चाय के बिना शुरू ही नहीं होती। कुछ लोग दिन में कई बार चाय पीते हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय बनाने का तरीका और उसकी मात्रा, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं?

1. चाय को ज्यादा देर तक न उबालें। चाय को अधिक समय तक उबालने से उसमें मौजूद टैनिन और अन्य पॉलीफेनॉल घटक अधिक मात्रा में निकल सकते हैं। इससे चाय का स्वाद कड़वा हो सकता है। कुछ लोगों को चाय पीने से एसिडिटी या सीने में जलन की समस्या हो सकती है।

2. टैनिन क्या है? टैनिन चाय में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक पॉलीफेनॉल घटक है।

इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव:

- भोजन से मिलने वाले आयरन का अवशोषण कम हो सकता है।
- कुछ लोगों में चाय पीने से पेट की परेशानी बढ़ सकती है।
- एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स से परेशान लोगों को चाय का सेवन सीमित रखना चाहिए।

3. दिन में कितनी चाय पीनी चाहिए? चाय का सेवन अपनी स्वास्थ्य स्थिति और कैफीन के प्रति संवेदनशीलता के अनुसार सीमित रखें।

- बार-बार चाय पीने से बचें।
- बहुत तेज या कड़क चाय न पिएं।
- भोजन के साथ चाय पीने से बचें।
- सोने से पहले चाय न पिएं।

4. किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए?

- एसिडिटी से परेशान व्यक्ति।
- एसिड रिफ्लक्स के मरीज।
- कम हीमोग्लोबिन वाले व्यक्ति।
- नींद की समस्या से परेशान व्यक्ति।
- कैफीन के प्रति संवेदनशील व्यक्ति।

याद रखिए ! अच्छे स्वास्थ्य के लिए केवल यह जानना जरूरी नहीं है कि हम क्या खाते हैं, बल्कि क्या पीते हैं, कितना पीते हैं और किस तरीके से सेवन करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है।

1. स्वास्थ्य ही सच्ची संपत्ति है !
2. स्वस्थ रहें, जागरूक रहें !
3. स्वस्थ शरीर ही सच्ची संपत्ति है। शरीर की शुद्धता के साथ-साथ आत्मा की शुद्धता का महत्व भी समझें।

स्वयं स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें !



चर्बी की गांठ बनाम खून का थक्का

चर्बी की गांठ और खून का थक्का — दोनों के बीच का अंतर पहचानें!



पिंकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता

शरीर पर कोई गांठ महसूस हो तो घबराएं नहीं, लेकिन उसे नजरअंदाज भी न करें !

1. चर्बी की गांठ (LIPOMA) क्या है ? त्वचा के नीचे वसा कोशिकाओं की वृद्धि से बनने वाली मुलायम गांठ को लिपोमा कहते हैं।

* ज्यादातर मामलों में यह हानिरहित होती है।
* धीरे-धीरे बढ़ती है।
* आमतौर पर दर्द नहीं होता।

यदि गांठ तेजी से बढ़ रही हो या दर्द हो रहा हो, तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है।

2. खून का थक्का (BLOOD CLOT) क्या है ? रक्तवाहिनी के अंदर खून जमकर थक्का बन जाए, तो उसे ब्लड क्लॉट कहते हैं। विशेष रूप से पैर की गहरी नस में बनने वाले खून के थक्के को DVT (Deep Vein Thrombosis) कहते हैं।

प्रमुख लक्षण:

1. पैर में अचानक सूजन आना
2. पैर में दर्द होना।
3. त्वचा का लाल होना।
4. प्रभावित हिस्से में गर्माहट महसूस होना।

यदि खून का थक्का फेफड़ों तक पहुंच जाए, तो जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है।

3. खून का थक्का बनने का खतरा कैसे कम करें ?

1. नियमित रूप से टहलने की आदत डालें।
2. लंबे समय तक एक ही जगह बैठे न रहें।
3. अपना वजन नियंत्रित रखें।
4. धूम्रपान से बचें।
5. सर्जरी के बाद डॉक्टर की सलाह से शारीरिक गतिविधियां शुरू करें।
6. पहले कभी खून का थक्का बना हो, तो डॉक्टर को इसकी जानकारी दें।

4. चर्बी की गांठ के मामले में क्या सावधानी रखें ?

* बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां न लें।
* गांठ पर जोर से मालिश न करें।
* घरेलू उपायों से गांठ कम करने की कोशिश न करें।
* डॉक्टर से उचित जांच करवाएं।

5. ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अस्पताल जाएं !

* पैर में अचानक सूजन और तेज दर्द होना।
* अचानक सांस लेने में परेशानी होना।
* सीने में दर्द होना।
* चक्कर आना या बेहोश हो जाना।

एक महत्वपूर्ण संदेश !

* चर्बी की गांठ और खून का थक्का दोनों अलग-अलग समस्याएं हैं।
* चर्बी की गांठ ज्यादातर मामलों में हानिरहित होती है, जबकि खून का थक्का कुछ परिस्थितियों में गंभीर और जानलेवा हो सकता है।

समय पर जांच करवाएं, उचित उपचार लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें !

जब प्रदूषण पर पहरा ही कागजी हो, तो हवा साफ कैसे हो?

प्रदूषण की बारात निकल रही है, प्रशासन बैंड बजा रहा है हवा जहरीली है, मगर सरकारी कार्रवाई पूरी तरह स्वस्थ है

• प्रो. आरके जैन "अरिजीत"

कागजों पर हमारे नियम इतने कड़े हैं कि प्रदूषण करने वाले की साँस रुक जाए। जुर्माने भारी हैं, धाराएँ डरावनी हैं, आयोग बने हुए हैं। लेकिन जमीन पर जाइए तो वही नियम ऐसे लड़खड़ाते नजर आते हैं जैसे बीमार आदमी। सर्दी आते ही दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली हो जाती है, अदालतें फटकारती हैं, अधिकारी बैठकें करते हैं और फिर सब कुछ वैसा ही चलता रहता है। लगता है प्रदूषण को रोकने से अधिक उसे लेकर चिंता जताने की व्यवस्था विकसित हो गई है। असली सवाल यही है कि नियम इतने सख्त होने के बावजूद उनका पालन इतना कमजोर क्यों है?

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर सात वर्षों में लगभग 12,087 करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन परिणाम उम्मीदों के अनुरूप नहीं मिले। 130 शहरों में से 117 शहर अब भी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों से ऊपर प्रदूषण झेल रहे हैं। केवल 13 शहर ही निर्धारित मानकों तक पहुँच पाए। कई शहरों में तो खर्च के बावजूद प्रदूषण बढ़ गया। आखिर करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी हवा साफ क्यों नहीं हुई? क्या प्रदूषण नियंत्रण का अर्थ केवल योजनाएँ बनाना, बैठकें करना और रिपोर्ट तैयार करना रह गया है? जनता को यह जानने का अधिकार है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ और उससे कितना सुधार आया। सरकारी खर्च की बड़ी रकम अपने आप सफलता का प्रमाण नहीं बन जाती। जब परिणाम हवा में दिखाई न दें, तो योजनाओं की समीक्षा भी उतनी ही कठोर होनी चाहिए जितने कठोर उनके नियम हैं।

प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी जिन बोर्डों पर है, उनकी स्थिति भी चिंताजनक है। इन बोर्डों में लगभग 45 प्रतिशत पद खाली हैं। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और निरीक्षकों की कमी से कारखानों तथा प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की नियमित जाँच प्रभावित होती है। यह वैसा ही है जैसे चौकीदार के बिना घर की सुरक्षा की उम्मीद करना। जब निरीक्षक ही नहीं होंगे, तो कारखानों के धुएँ और औद्योगिक कचरे पर निगरानी कौन रखेगा? नियम बनाने वाली व्यवस्था मौजूद है, लेकिन उन्हें लागू करने वाले पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। खाली पद प्रदूषण फैलाने वालों को खुली छूट देते हैं। जब तक संस्थाओं को पर्याप्त कर्मचारी, आधुनिक उपकरण और स्वतंत्र कार्यक्षमता नहीं मिलेगी, तब तक कागजी सख्ती का कोई अर्थ नहीं होगा।



व्यवस्था की असली कमजोरी कार्रवाई के नाम पर होने वाली खानापूर्ति में दिखाई देती है। कई निगरानी केंद्र बंद रहते हैं और निर्माण स्थलों पर नियमों का उल्लंघन जारी रहता है। दिल्ली में निर्माण संबंधी उल्लंघनों पर करोड़ों रुपये के जुर्माने लगाए गए, लेकिन वसूली मुश्किल से छह-सात प्रतिशत ही हो सकी। जुर्माना लगाने में तेजी और वसूली में सुस्ती कैसी सख्ती है? सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2026 में भी स्पष्ट किया कि केवल आदेश जारी करने से समस्या हल नहीं होगी, उनका जमीन पर पालन होना चाहिए। मगर अधिकारी निर्देश जारी करके ही अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं। फाइल में कार्रवाई पूरी हो जाती है, लेकिन सड़क पर धूल उड़ती रहती है। जब उल्लंघन करने वालों को दंड का भय ही नहीं होगा, तो वे नियमों का पालन क्यों करेंगे?

प्रदूषण किसी एक शहर या राज्य की समस्या नहीं है, लेकिन इसे रोकने की जिम्मेदारी आते ही सभी अपने-अपने दायरे में सिमट जाते हैं। दिल्ली-एनसीआर के राज्यों ने इस वर्ष निर्धारित कार्ययोजनाओं का केवल 40 से 60 प्रतिशत काम पूरा किया। राजस्थान की प्रगति सबसे पीछे रही, जबकि उत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत आगे रहा। एक राज्य पराली जलाने का आरोप लगाता है, दूसरा वाहनों और निर्माण की धूल को जिम्मेदार ठहराता है। दिल्ली अपनी समस्याएँ गिनाती है और पड़ोसी राज्य अपनी मजबूरियाँ। इस आरोप-प्रत्यारोप में प्रदूषण बढ़ता रहता है। आयोगों और बैठकों का कोई विशेष अर्थ नहीं, जब तक साझा कार्ययोजना और जिम्मेदारी तय न हो। हवा राज्य की सीमाएँ नहीं पहचानती, इसलिए उसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी सीमाओं में नहीं बँट सकती।

नियमों के कमजोर पड़ने का एक बड़ा कारण कार्रवाई में असमानता भी है। छोटे ठेकेदार या दुकानदार पर कार्रवाई आसान है, लेकिन बड़ी औद्योगिक इकाइयों के मामलों में प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। कहीं कानूनी अपील, कहीं तकनीकी जाँच और कहीं विभागीय अनुमति के नाम पर कार्रवाई टलती रहती है। इस बीच प्रदूषण जारी रहता है। कानून का प्रभाव तभी होगा, जब वह छोटे-बड़े सभी पर समान रूप से लागू होगा। साथ ही, प्रदूषण के लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराकर बाकी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पराली के साथ वाहनों का धुआँ, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण की धूल, कचरा जलाना और सड़कों की खराब सफाई भी प्रदूषण बढ़ाते हैं। समस्या अनेक कारणों से पैदा होती है, इसलिए समाधान भी व्यापक और निरंतर होना चाहिए।

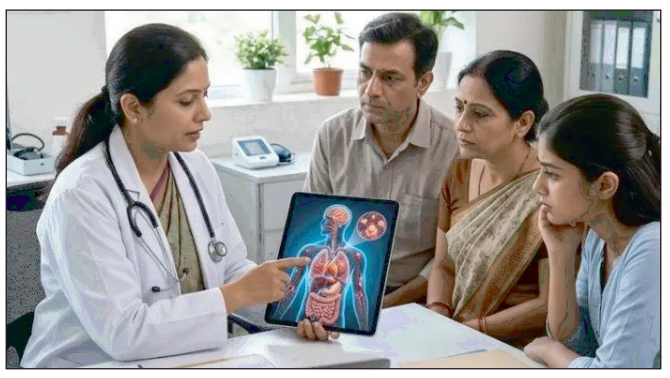
अब आवश्यकता नए आदेशों से अधिक पुराने आदेशों के पालन की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के खाली पद भरे जाएँ और निगरानी केंद्र सक्रिय रहें। जुर्मानों की पूरी वसूली हो तथा बार-बार नियम तोड़ने वाली इकाइयों पर कठोर कार्रवाई हो। प्रत्येक विभाग और अधिकारी की जिम्मेदारी तय हो। योजनाओं पर खर्च और उनके परिणाम सार्वजनिक किए जाएँ। राज्यों के बीच समन्वय बढ़े और प्रदूषण के स्रोतों की नियमित निगरानी हो। अधिकारियों से केवल आदेश नहीं, ठोस परिणाम भी माँगे जाएँ। प्रदूषण नियंत्रण की सफलता बैठकों और रिपोर्टों से नहीं, बल्कि हवा की गुणवत्ता में सुधार से मापी जानी चाहिए।

विडंबना यह है कि जिस हवा पर सबका समान अधिकार है, उसे साफ रखने की जिम्मेदारी निभाने में ही सबसे अधिक लापरवाही दिखाई देती है। जनता को स्वच्छ हवा का आश्वासन मिलता है, लेकिन बदले में उसे मास्क, दवाइयाँ और बीमारियों का खर्च उठाना पड़ता है। सरकार की सफलता नियमों की संख्या या खर्च किए गए बजट से नहीं, बल्कि आम आदमी के जीवन में आए सुधार से तय होनी चाहिए। जब तक नियम तोड़ने वालों को दंड और जिम्मेदारी से बचने वाले अधिकारियों को जवाबदेही का सामना नहीं करना पड़ेगा, तब तक स्थिति नहीं बदलेगी। आखिर कानून का उद्देश्य फाइलों में सख्ती दिखाना नहीं, लोगों का जीवन सुरक्षित करना है। वरना नियम कागजों पर शेर बने रहेंगे, अधिकारी उनकी दहाड़ सुनाते रहेंगे और जनता जहरीली हवा में साँस लेने को मजबूर रहेगी।

शिक्षाविद्
बड़वानी (मप्र)

'कोई तकलीफ नहीं, तो कैसा नुकसान' -इस वहम में न रहें, बिना लक्षण के भी फेफड़ों में जहर भर देता है खराब AQI

हम अक्सर सोचते हैं कि प्रदूषण का असर महीनों या सालों में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक खराब एयर क्वालिटी वाले दिन में बिताए गए महज कुछ घंटे ही आपके शरीर के अंदर उथल-पुथल मचाने के लिए काफी हैं?



जी हां, जैसे ही आप इस जहरीली हवा में सांस लेते हैं, आपके फेफड़े तुरंत खतरे का अलार्म बजाने लगते हैं। बताती हैं कि जब हवा में सूक्ष्म कणों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ कुछ ही घंटों में इसके सीधे निशाने पर आ जाता है। आइए जानते हैं कि इस हवा में सांस लेने के बाद शरीर के अंदर आखिर क्या-क्या बदलता है।

शुरुआती घंटों में दिखने वाले संकेत

खराब हवा में कुछ घंटे बिताने के बाद ही आंखों से पानी आना, नाक-गले में खराश, खांसी, सीने में भारीपन या सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज महसूस हो सकती है। अस्थमा, सीओपीडी या दिल की बीमारियों वाले लोगों पर इसका सबसे जल्दी और बुरा असर पड़ता है। एक अहम बात यह भी है कि अगर आपको कोई लक्षण महसूस नहीं हो रहा है, तो इस गलतफहमी में न रहें कि प्रदूषित हवा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है।

शरीर के कुदरती सुरक्षा चक्र को भी भेद देता है PM२.५

वायु प्रदूषण में सबसे खतरनाक चीज PM२.५ है। ये कण आकार में २.५ माइक्रोमीटर या उससे भी छोटे होते हैं। वैसे तो हमारा शरीर बाहरी कचरे को बाहर निकालने में सक्षम होता है, लेकिन ये कण इतने बारीक होते हैं कि ये शरीर के प्राकृतिक सुरक्षा घेरे को पार करके फेफड़ों की गहरी परतों तक पहुंच जाते हैं। ये सीधे 'एल्विओलाई' में जाकर जम जाते हैं, जिन सूक्ष्म थैलियों से ऑक्सीजन खून में मिलती है।

स्थायी रूप से घट जाती है सांस लेने की ताकत

एक बार जब ये बारीक कण फेफड़ों में जम जाते हैं, तो वे शरीर में सूजन और 'ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस' पैदा करते हैं। शरीर जब किसी चोट या जलन के खिलाफ अपनी रक्षा करता है, तो वहां सूजन आ जाती है। वहीं, 'ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस' तब होता है जब नुकसान पहुंचाने वाले कण इतनी तेजी से जमा होते हैं कि शरीर उन्हें खत्म नहीं कर पाता। बार-बार इस तरह की हवा का सामना करने से फेफड़े अंदर से छिलने लगते हैं, जिससे फेफड़ों की काम करने की क्षमता गिर जाती है और सांस की पुरानी बीमारियां जन्म लेती हैं।

सिर्फ फेफड़ों नहीं, दिल पर भी पड़ता है असर

प्रदूषण का प्रभाव केवल सांस की नली तक सीमित नहीं रहता। ये बारीक कण हमारी खून की नलियों के काम करने के तरीके को भी बिगाड़ देते हैं, जिससे पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भारी दबाव पड़ता है। यही कारण है कि वायु प्रदूषण का सीधा कनेक्शन स्ट्रोक और दिल की बीमारियों से भी है। जिन लोगों को पहले से ही हार्ट की कोई समस्या है, उनके लिए प्रदूषण भरे दिन काफी जोखिम भरे साबित हो सकते हैं।

वसुबारस – दीपावली का मंगलमय शुभारंभ!

पिंकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता



गाय और बछड़े की पूजा के पीछे छिपे आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक और प्रकृति से जुड़े महत्व को समझें!

आप सभी को वसुबारस (वत्स द्वादशी) की हार्दिक शुभकामनाएँ!

1. वसुबारस क्या है?

'वसु' का अर्थ है धन-संपत्ति और 'बारस' का अर्थ है द्वादशी तिथि।

भारतीय संस्कृति में गाय को मातृत्व, प्रेम, समृद्धि और पालन-पोषण का प्रतीक माना जाता है।

गाय और बछड़े के रिश्ते से हमें प्रेम, ममता और निःस्वार्थ सेवा का संदेश मिलता है।

2. वसुबारस का आध्यात्मिक महत्व गाय और पशुधन ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार हैं।

1. गाय से दूध प्राप्त होता है।
2. गोबर से जैविक खाद बनाई जाती है।
3. बैल खेती के काम में सहायता करते हैं।

पशुधन ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करता है।

इसीलिए इस दिन पशुधन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है।

3. आयुर्वेद की दृष्टि से गाय से प्राप्त पदार्थों का महत्व

1. गाय का दूध दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं।

2. शुद्ध घी घी ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है। इसे उचित मात्रा में भोजन में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, इसका अधिक सेवन करने से बचना चाहिए।

3. दही और छाछ दही प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। छाछ शरीर को तरल पदार्थ प्रदान करती है और कुछ लोगों के पाचन के लिए उपयोगी हो सकती है।

4. गोबर की खाद अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाती है और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करती है।

5. गोमूत्र पारंपरिक आयुर्वेदिक साहित्य में गोमूत्र का उल्लेख मिलता है। हालांकि, इससे सभी बीमारियाँ ठीक होती हैं, इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कच्चा गोमूत्र पीने से बचना चाहिए।

4. खेती और पर्यावरण के लिए वसुबारस का संदेश

1. भूमि का संरक्षण करें।
2. पानी की बचत करें।
3. पशुधन का उचित पालन-पोषण करें।
4. जैविक खाद का सही उपयोग करें।
5. किसानों और अन्नदाताओं का सम्मान करें।

पूजा करते समय पशुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखें। पटाखों, धुएँ और तेज आवाज से उन्हें दूर रखें।

7. व्रत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें कुछ परिवारों में वसुबारस के दिन गेहूँ और दुग्धजन्य पदार्थों का सेवन नहीं करने की परंपरा है।

लेकिन व्रत के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है।

मधुमेह (डायबिटीज) से पीड़ित व्यक्ति अपनी दवाइयाँ या इंसुलिन डॉक्टर की सलाह के बिना बंद न करें।

गर्भवती महिलाएँ, बुजुर्ग और अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आहार लें।

वसुबारस का वास्तविक संदेश गाय की पूजा का अर्थ केवल हल्दी-कुमकुम लगाना नहीं है, बल्कि उसकी भूख-प्यास को समझना, उसे उचित चारा-पानी देना और प्रेमपूर्वक उसकी देखभाल करना भी है।

1. पशुधन का सम्मान
2. किसानों का आदर
3. प्रकृति का संरक्षण और
4. अपने स्वास्थ्य की देखभाल

यही वसुबारस का वास्तविक अर्थ है!

आइए, इस दीपावली पर एक संकल्प लें! पशुओं से प्रेम करें, किसानों का सम्मान करें, प्रकृति की रक्षा करें और स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करें।

1. स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है!
2. आप सभी को वसुबारस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ!
3. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे जीवन मूल्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर और शुद्ध मन का महत्व समझें।

आत्मशुद्धि के साथ शरीर की स्वच्छता और स्वास्थ्य संवर्धन को भी महत्व दें!

5. वसुबारस हमें क्या सिखाता है?

1. बेजुबान पशुओं से प्रेम करें।
2. जानवरों को समय पर चारा और पानी दें।
3. पशुधन का संरक्षण करें।
4. किसानों का सम्मान करें।
5. प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें।

6. वसुबारस की पूजा कैसे करें?

1. गाय और बछड़े को स्वच्छ करें।
2. उनके माथे पर हल्दी-कुमकुम और अक्षत लगाएँ।
3. फूल अर्पित करके दीपक जलाएँ।
4. श्रद्धापूर्वक आरती करें।
5. गाय को उचित चारा और पानी दें।



धन और रिश्तों का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल

जानिए दिन की ऊर्जा • संभालिए धन • मजबूत बनाइए रिश्ते

06 नवंबर 2026 | दिन का अंक: 9 — पूर्णता, करुणा, साहस, समझ और उद्देश्यपूर्ण कर्म

मूलांक 1

धन व करियर: दिन का अंक 9 आपकी नेतृत्व ऊर्जा को उद्देश्य और पूर्णता की दिशा देता है। किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करें, लंबित आर्थिक विषय सुलझाएं या अपने प्रभाव का उपयोग ऐसे परिणाम के लिए करें जो केवल आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी उपयोगी हो।
रिश्ते: आज आपकी मजबूत उपस्थिति सुरक्षात्मक और उदार बन सकती है। करुणा के साथ नेतृत्व करें, लेकिन यह न मानें कि केवल आपका समाधान ही सही है।
सावधानी: अहंकार की टकराहट, आवेग में उदारता और अधूरे विषय साफ किए बिना बड़ी नई प्रतिबद्धता शुरू करने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरी करें और नेतृत्व से रचनात्मक परिणाम बनाएं।

मूलांक 2

धन व करियर: दिन 9 आपकी संवेदनशीलता और करुणा को बढ़ाता है। दूसरों की आर्थिक या पेशेवर मदद करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन सहयोग तथ्य और स्वस्थ सीमाओं के साथ करें।
रिश्ते: भावनात्मक समझ मजबूत रहेगी और पुरानी गलतफहमी नरम पड़ सकती है। देखभाल सीधे व्यक्त करें, लेकिन सामने वाले का पूरा भावनात्मक बोझ स्वयं न उठाएं।
सावधानी: अपराधबोध में खर्च, भावनात्मक रूप से जरूरत से ज्यादा जुड़ने और हर प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत लेने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: सीमाओं के साथ सहयोग दें और एक अधूरी बातचीत को शांति की ओर ले जाएं।

मूलांक 3

धन व करियर: दिन 9 आपकी रचनात्मक और अभिव्यक्तिपूर्ण प्रकृति को अर्थपूर्ण मंच देता है। शिक्षण, कंटेंट, प्रस्तुति या संवाद तब अधिक प्रभावी होगा जब संदेश का स्पष्ट उद्देश्य हो।
रिश्ते: दिल से कही बात दूरी कम कर सकती है। हास्य का सकारात्मक उपयोग करें, लेकिन किसी गंभीर भावना को व्यक्त होने की जगह भी दें।
सावधानी: नाटकीय भाषा, सामाजिक खर्च और क्षमता से अधिक वादा करने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: अपनी आवाज से प्रेरित करें और एक रचनात्मक काम उद्देश्य के साथ पूरा करें।

मूलांक 4

धन व करियर: दिन 9 आपकी व्यावहारिक प्रकृति को विस्तार से पहले पूरा करने, साफ करने और पुनर्व्यवस्थित करने को कहता है। लंबित खाते, दस्तावेज या संसाधन खा रही कमजोर व्यवस्था को समाप्त करें।
रिश्ते: आप जिम्मेदारियों पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन किसी भावनात्मक विषय को भी पूर्णता चाहिए हो सकती है। बातचीत को तुरंत व्यावहारिक सूची में बदलने के बजाय पहले सुनें।
सावधानी: कठोरता, पुरानी नाराजगी पकड़े रखने और केवल पुरानी आदत के कारण जिम्मेदारी जारी रखने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक लंबित जिम्मेदारी पूरी करें और ऐसी व्यवस्था छोड़ें जो अब उपयोगी नहीं है।

मूलांक 5

धन व करियर: दिन 9 आपकी तेज ऊर्जा को पूर्णता और अर्थपूर्ण बदलाव की ओर ले जाता है। कोई डील पूरा करें, पुराने संपर्क का फॉलो-अप करें या कमजोर अवसर से संसाधन हटाकर बेहतर उद्देश्य में लगाएं।
रिश्ते: आप जल्दी आगे बढ़ना चाह सकते हैं, जबकि सामने वाले को पूर्णता की जरूरत हो सकती है। अगली व्यस्तता में खोने के बजाय ईमानदारी से बात करें।
सावधानी: अचानक दूरी, लापरवाह खर्च और अधूरी भावनाओं से बचने के लिए लगातार व्यस्त रहने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: अगले अवसर से पहले एक पुराना चक्र साफ तरीके से पूरा करें।

मूलांक 6

धन व करियर: दिन 9 आपकी देखभाल की प्रकृति को और उदार बना सकता है। परिवार, क्लाइंट या सेवा से जुड़े विषय लाभ देंगे, लेकिन आर्थिक मदद स्थिरता बनाए, निर्भरता नहीं।
रिश्ते: करुणा और स्नेह मजबूत रहेंगे। क्षमा राहत दे सकती है, लेकिन उसे बार-बार उसी अस्वस्थ पैटर्न को स्वीकार करने से न जोड़ें।
सावधानी: जरूरत से ज्यादा देना, भावनात्मक खर्च और हर व्यक्ति को बचाने की कोशिश से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: समझदारी से दें, सच्ची प्रशंसा करें और भावनात्मक व आर्थिक संतुलन सुरक्षित रखें।

मूलांक 7

धन व करियर: दिन 9 आपकी विश्लेषणात्मक प्रकृति को व्यापक उद्देश्य देता है। किसी प्रोजेक्ट या आर्थिक चक्र से मिली सीख की समीक्षा करें और तय करें कि क्या पूरा, समाप्त या आगे ले जाना है।
रिश्ते: पुरानी भावनाएं समझ के लिए सामने आ सकती हैं। निजी विश्लेषण में खोने के बजाय अपनी समझ साझा करें और सामने वाले से अनुमान लगाने की अपेक्षा न करें।
सावधानी: अलगाव, अत्यधिक विश्लेषण और बिना रचनात्मक कारण अतीत खोलने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक सीख को पूर्णता में और एक समझ को व्यावहारिक अगले कदम में बदलें।

मूलांक 8

धन व करियर: दिन 9 आपकी महत्वाकांक्षी ऊर्जा को लाभ के साथ प्रभाव पर भी ध्यान देने को कहता है। दायित्व पूरे करें, बकाया सुलझाएं और अधिकार का जिम्मेदारी से उपयोग करें; साफ पूर्णता अगला चक्र मजबूत करेगी।
रिश्ते: आज शक्ति के साथ सहानुभूति जरूरी है। धन, जिम्मेदारी या नियंत्रण पर न्यायपूर्ण बातचीत दोनों पक्षों को सुनने पर तनाव कम कर सकती है।
सावधानी: शक्ति संघर्ष, कठोर निर्णय और केवल अहंकार के कारण किसी आर्थिक या पेशेवर विषय को पकड़े रखने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक लंबित विषय न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाएं और शक्ति से संघर्ष नहीं, पूर्णता बनाएं।

मूलांक 9

धन व करियर: आपके मूलांक 9 और दिन के अंक 9 की ऊर्जा एक-दूसरे को बहुत मजबूत करती है। साहस, करुणा, पूर्णता और व्यापक उद्देश्य प्रमुख रहेंगे। बड़े काम पूरे करने, पुराने विषय सुलझाने और ऊर्जा को अर्थपूर्ण परिणाम की ओर लगाने के लिए श्रेष्ठ दिन है।
रिश्ते: भावनाएं गहरी रह सकती हैं, इसलिए क्षमा और पूर्णता विशेष रूप से प्रभावी होंगे। पूरे दिल से देखभाल करें, लेकिन जहां पुराना पैटर्न बार-बार चोट देता हो वहां सीमा रखें।
सावधानी: क्रोध, आवेग में उदारता, भावनात्मक नाटकीयता और समाप्त हो चुकी लड़ाइयों को ढोते रहने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: पूरा करें, क्षमा करें और अपनी ऊर्जा अगले अर्थपूर्ण अध्याय की ओर मोड़ें।

कॉल / व्हाट्सऐप: 8750075550 | वेबसाइट: www.vediccodes.in | @vediccodes

Vediccodes - Your vibrations... our solutions

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - धर्म-आस्था - दीपावली विशेष

धनतेरस: धन नहीं, पहले आरोग्य - धन्वंतरि का प्राकट्य और यम दीपदान की पूरी कथा

कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को पांच दिवसीय दीपावली महापर्व का पहला दिन – क्यों खरीदा जाता है बर्तन, क्यों जलाया जाता है द्वार पर यम का दीया, जानिए पूरा इतिहास और विधि

प्रस्तुतकर्ता केके छाबड़ा



नई दिल्ली - धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है, हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह पांच दिवसीय दीपावली महापर्व का पहला दिन होता है।

आम धारणा है कि धनतेरस सिर्फ सोना-चांदी खरीदने का दिन है। सच यह है कि इसका मूल भाव है - "पहला सुख निरोगी काया"। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसीलिए इस दिन आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। भारत सरकार इसी दिन को **'राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस'** के रूप में भी मनाती है।

धनतेरस मनाने के पीछे दो प्रमुख पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं - भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य और यमराज से जुड़ा यम दीपदान।

तथ्य एक नज़र में - बिंदु - विवरण

पर्व- धनतेरस / धनत्रयोदशी - दीपावली का पहला दिन
तिथि -कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी
इस बार 6 नवंबर, शुक्रवार
मुख्य देवता भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर देव
मुख्य परंपरा धातु के बर्तन / सोना-चांदी खरीदना, संध्या पूजन, यम दीपदान
यम दीपदान समय सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल - वीडियो / पंचांग के अनुसार शाम 5:33 से 8:09 बजे तक
यम का दीया घर के बाहर मुख्य द्वार पर, दक्षिण दिशा की ओर मुख, अन्न की ढेरी पर
राष्ट्रीय महत्व राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस
मुख्य बिंदु - धनतेरस क्यों मनाया जाता है?

1. आरोग्य और दीर्घायु की कामना भगवान धन्वंतरि की पूजा कर परिवार के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य और निरोगी जीवन की प्रार्थना की जाती है।

२. समृद्धि और लक्ष्मी का आह्वान
इस दिन माता लक्ष्मी और देवताओं के कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, ताकि घर में स्थायी सुख, वैभव और आर्थिक स्थिरता बनी रहे।

३. अकाल मृत्यु से सुरक्षा यम दीपदान के माध्यम से घर को नकारात्मक ऊर्जा, दुर्घटना और अकाल मृत्यु के संकट से सुरक्षित रखने की कामना की जाती है।

4. नई शुरुआत और शुभ निवेश
इस दिन धातु (सोना, चांदी, पीतल), वाहन, भूमि-मकान की रजिस्ट्री, नए व्यापारिक बहीखाते या उपयोगी घरेलू सामान खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है।

कथा 1: समुद्र मंथन और भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य - आरोग्य का पर्व पौराणिक मान्यता के अनुसार, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए क्षीरसागर में समुद्र मंथन हुआ, तब कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान धन्वंतरि समुद्र से प्रकट हुए।

अमृत कलश: जब धन्वंतरि देव प्रकट हुए, तो उनके दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ स्वर्ण / धातु का कलश था।

चिकित्सा और आयुर्वेद के जनक: भगवान धन्वंतरि को देवताओं का वैद्य और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। उन्होंने संसार को रोगों से मुक्ति और दीर्घायु का ज्ञान दिया।

बर्तन खरीदने की परंपरा: क्योंकि वे हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन धातु के बर्तन, विशेषकर पीतल, तांबा, चांदी या सोना खरीदने की परंपरा शुरू हुई।

> संपादकीय टिप्पणी: धनतेरस केवल भौतिक संपत्ति का पर्व नहीं है। इसका मूल संदेश है - धन से पहले स्वास्थ्य। इसलिए बर्तन खरीदने के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य की जांच, अच्छी दिनचर्या और आयुर्वेदिक जीवनशैली को भी अपनाएं।

कथा २: राजा हिम के पुत्र और यम दीपदान की कथा - अकाल मृत्यु से रक्षा धनतेरस की शाम को घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक चार मुखी दीपक जलाया जाता है, जिसे यम का दीया कहा जाता है।

कथा के अनुसार, राजा हिम के पुत्र की कुंडली में विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से मृत्यु का योग था। जब राजकुमार का विवाह हुआ, तो उसकी पत्नी को इस बात का ज्ञान हुआ। चौथे दिन पत्नी ने राजकुमार को सोने नहीं दिया और पूरे कमरे को सोने-चांदी के आभूषणों व सिक्कों के ढेर से सजा दिया तथा मुख्य द्वार पर ढेर सारे दीपक जला दिए। साथ ही वह राजकुमार को कहानियां और भजन सुनाती रही।

जब यमराज मृत्यु के देवता के रूप में सर्प बनकर आए, तो आभूषणों और दीयों की तीव्र चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे अंदर प्रवेश नहीं कर पाए और आभूषणों के ढेर पर बैठकर पूरी रात संगीत व कथा सुनते रहे। सुबह होते ही सर्प रूपी यमराज बिना राजकुमार के प्राण लिए लौट गए। इस प्रकार पत्नी के बुद्धिकौशल और दीयों की रोशनी ने पति को अकाल मृत्यु से बचा लिया।

यही कारण है कि धनतेरस की शाम को परिवार की दीर्घायु और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है।

यम दीपदान मंत्र:
> मृत्युनां पाशदण्डाभ्यां कालेन श्यामया सह।
> त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतां मम॥

भावार्थ: मृत्यु, पाश, दण्ड, काल और श्यामा के साथ सूर्यपुत्र यमराज इस दीपदान से मुझ पर प्रसन्न हों।

धनतेरस की मुख्य परंपराएं - क्या खरीदें, कैसे पूजें?

1. खरीदारी - क्या शुभ है? इस दिन पीतल (धन्वंतरि देव की प्रिय धातु), तांबा, चांदी के सिक्के / बर्तन, नया झाड़ू (दारिद्र्य दूर करने का प्रतीक), और खड़ा धनिया (समृद्धि का प्रतीक) खरीदना सबसे शुभ माना जाता है।

२. संध्या पूजन: प्रदोष काल में भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर देव का षोडशोपचार या पंचोपचार विधि से पूजन किया जाता है।

३. यम दीपदान - सही विधि: सूर्यास्त के बाद घर के बाहर, मुख्य द्वार पर या नाली / कूड़ेदान के समीप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पुराने अन्न (जैसे गेहूं या उड़द) पर चौमुखा सरसों / तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है।

परंपरा के अनुसार मिट्टी का नया दीया लें, उसमें तिल का तेल डालें, नई रुई की बत्ती बनाएं, अन्न की ढेरी पर रखें, फूल-चंदन अर्पित करें और मंत्र बोलकर प्रार्थना करें।

जनहित संदेश - परंपरा के साथ सुरक्षा और समझदारी

1. दिखावे में कर्ज न लें: धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ है, लेकिन कर्ज लेकर दिखावा करना अशुभ है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही खरीदारी करें। पीतल का छोटा बर्तन भी उतना ही शुभ है, जितना सोना।

२. दीया सुरक्षित रखें: यम का दीया पर्दे, कागज, लकड़ी, पेट्रोल या गैस के पास न रखें। दीया पत्थर / धातु की थाली में रखें, जहां आग फैलने का खतरा न हो।

३. नकली से बचें: नकली सोना, नकली चांदी और मिलावटी तेल से सावधान रहें। बिल और हॉलमार्क लेकर ही खरीदें।

4. स्वास्थ्य ही असली धन: इस धनतेरस पर अपने परिवार की स्वास्थ्य जांच, दवाएं, बीमा और स्वच्छ जीवनशैली पर भी ध्यान दें। यही धन्वंतरि देव की सच्ची पूजा है।

5. आस्था को अंधविश्वास न बनाएं: यह परंपरा आस्था का प्रतीक है। इसे बीमारी या दुर्घटना से बचाव की गारंटी न मानें। स्वास्थ्य और सुरक्षा के नियमों का पालन ही असली रक्षा है।

संपादकीय निष्कर्ष धनतेरस हमें दो बड़ी सीख देता है - पहली, धन से पहले स्वास्थ्य। दूसरी, दीपक की रोशनी अंधकार से बड़ी है। धन्वंतरि का कलश हमें आरोग्य का संदेश देता है और यम का दीया हमें जीवन के मूल्य का स्मरण कराता है।

इस धनतेरस पर एक दीया द्वार पर जरूर जलाएं, एक अच्छा संकल्प मन में जरूर लें - कि हम अपने परिवार के स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि का ध्यान रखेंगे।

जनहित अपील: अपने आसपास बुजुर्गों और अकेले रहने वालों को दीया जलाने और पूजन में मदद करें। त्योहार की खुशी तभी पूरी है, जब सबका घर सुरक्षित और रोशन हो।

स्रोत: पौराणिक कथाओं, पंचांग व परंपरागत मान्यताओं के आधार पर। पूजा का समय स्थानीय पंचांग के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है, अपने स्थानीय पंचांग से पुष्टि करें।

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - धर्म-आस्था - जनहित विशेष

धनतेरस की शाम एक दीया घर के द्वार पर - यम का दीपक क्यों जलाया जाता है?

स्कंद पुराण की कार्तिक महिमा में बताया गया दीपदान – विधि, समय, दिशा और सुरक्षा, सब कुछ जानिए ताकि परंपरा भी निभे और घर भी सुरक्षित रहे

प्रस्तुतकर्ता केके छाबड़ा



नई दिल्ली - दीपावली से पहले धनतेरस की शाम घर-घर में एक खास दीया जलाया जाता है - यम का दीपक। यह दीया धन के लिए नहीं, घर-परिवार के स्वास्थ्य, दीर्घायु और अकाल मृत्यु से रक्षा की कामना के लिए जलाया जाता है।

इस परंपरा का उल्लेख स्कंद पुराण की कार्तिक महिमा में मिलता है, जहां यमदूतों के पूछने पर यमराज बताते हैं कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रदोष काल में द्वार पर दीप देने वाला जीव अकाल मृत्यु को प्राप्त होने पर भी यमलोक ले जाने योग्य नहीं रहता।

> संपादकीय नोट: यह एक धार्मिक आस्था और परंपरा है। इसे किसी बीमारी, दुर्घटना या मृत्यु से बचाव की गारंटी के रूप में न समझें। आस्था के साथ-साथ सुरक्षा और स्वास्थ्य के नियमों का पालन ही असली जनहित है।

तथ्य एक नज़र में
बिंदु - विवरण

पर्व धनतेरस - कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी
तारीख - इस बार 6 नवंबर, शुक्रवार
समय सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल - वीडियो के अनुसार शाम 5:33 से 8:09 बजे तक
दीया मिट्टी का दीया, तिल का तेल, नई रूई की बत्ती
स्थान घर के बाहर मुख्य द्वार पर
दिशा दीपक की लौ / मुख दक्षिण दिशा की ओर
विशेष विधि दीपक को अन्न की ढेरी पर रखें, फूल-चंदन अर्पित करें
संकल्प दीपक रात भर जलता रहे - सुरक्षा के साथ

मुख्य बिंदु - क्या है यम के दीपक का अर्थ?

1. सिर्फ परंपरा नहीं, एक स्मरण है यम का दीपक हमें याद दिलाता है कि जीवन नश्वर है, इसलिए स्वास्थ्य, परिवार और समय का सम्मान करें। दीया जलाना अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है।

2. कौन सा दीया, कौन सी दिशा? मिट्टी का नया दीपक लें। उसमें तिल का तेल डालें और नई रूई की बत्ती बनाएं। घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक रखें।

3. अन्न की ढेरी पर क्यों? परंपरा में कहा गया है कि द्वार पर दीपक को अन्न (चावल / गेहूं) की छोटी ढेरी पर रखें। यह अन्नपूर्णा और समृद्धि का प्रतीक है - कि घर में कभी अन्न की कमी न हो।

4. मंत्र न आए तो क्या करें? दीप रखते समय परंपरागत मंत्र बोला जाता है:

> मृत्युनां पाशदण्डाभ्यां कालेन श्यामया सह।
> त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतां मम॥

अर्थः मृत्यु, पाश, दण्ड, काल और श्यामा के साथ सूर्यपुत्र यमराज इस दीपदान से मुझ पर प्रसन्न हों।

जिन्हें मंत्र ठीक से न बोला जाए, वे मन में सिर्फ यही भाव रखें - धर्मराज की कृपा से हमारे घर में सब स्वस्थ और दीर्घायु रहें, धन्यवाद।

5. सिर्फ एक दीया नहीं, एक प्रार्थना है दीया रखने के बाद एक बार मन में पूरे परिवार के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। यही इस परंपरा की आत्मा है।

विस्तृत विवरण - स्टेप बाय स्टेप विधि

चरण 1 - तैयारी: शाम को स्नान कर साफ वस्त्र पहनें। मिट्टी का नया दीया, तिल का तेल, नई बत्ती, थोड़ा चंदन, फूल और थोड़े चावल / अन्न तैयार रखें।

चरण 2 - द्वार की सफाई: मुख्य द्वार के बाहर की जगह को साफ करें। फूलों से छोटी सी रंगोली या पुष्प सज्जा करें, जैसा वीडियो में दिखाया गया है।

चरण 3 - दीपक रखना: प्रदोष काल में अन्न की ढेरी पर दीपक रखें। तेल डालकर बत्ती जलाएं। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें।

चरण 4 - अर्पण और प्रार्थना: थोड़ा चंदन और फूल चढ़ाएं। मंत्र बोलें या मन में प्रार्थना करें।

चरण 5 - रात भर का दीया: परंपरा कहती है दीपक रात भर बुझना नहीं चाहिए। इसलिए पर्याप्त तेल डालें।

जनहित संदेश - सबसे जरूरी बात, सुरक्षा परंपरा निभाते समय सुरक्षा को न भूलें। अखबार की ओर से पाठकों से विशेष अपीलः

1. दीया सुरक्षित जगह रखें: दीया पर्दे, कागज, लकड़ी, पेट्रोल, गैस सिलेंडर या सूखे पत्तों के पास न रखें।

2. हवा और गिरने का ध्यान रखें: दीया ऐसी जगह रखें जहां हवा से गिरे नहीं और बच्चे / पालतू जानवर उसे छू न सकें।

3. रात भर जलता छोड़ने का मतलब लापरवाही नहीं: अगर आप सो रहे हैं तो दीया ऐसी खुली, पत्थर / धातु की थाली में रखें, जहां आग फैलने का खतरा न हो। घर में एक बाल्टी पानी / अग्निशामक पास रखें।

4. मिट्टी का दीया ही चुनें: प्लास्टिक या मोम के नकली दीयों से बचें। मिट्टी का दीया पर्यावरण के लिए भी अच्छा है।

5. स्वास्थ्य ही असली धन है: धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने के साथ-साथ अपने परिवार के स्वास्थ्य की जांच, दवा, बीमा और सुरक्षित जीवनशैली पर भी ध्यान दें।

संपादकीय निष्कर्ष यम का दीपक हमें डराने के लिए नहीं, जीवन का मूल्य समझाने के लिए है। एक छोटा सा दीया जब पूरे परिवार की प्रार्थना के साथ द्वार पर जलता है, तो वह घर में प्रकाश ही नहीं, एकता, श्रद्धा और जिम्मेदारी भी लाता है।

इस धनतेरस पर दीया जरूर जलाएं - पर पूरे ध्यान और सुरक्षा के साथ।

जनहित अपील: अपने आसपास बुजुर्गों और अकेले रहने वालों को दीया जलाने में मदद करें। त्योहार की खुशी तभी पूरी है, जब सबका घर सुरक्षित और रोशन हो।

स्रोत: स्कंद पुराण की कार्तिक महिमा के परंपरागत उल्लेख व वीडियो में प्रस्तुत विधि के आधार पर। समय स्थानीय पंचांग के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है, अपने स्थानीय पंचांग से पुष्टि करें।

ग्रीन पटाखों की बिक्री और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट : एडीसी

चारों उपमंडलों में अधिकारियों की टीमें करेंगी निगरानी

ग्रीन पटाखों के लिए स्थान निर्धारित, बिक्री केंद्रों पर फायर ब्रिगेड और सुरक्षा उपकरणों की रहेव्यवस्था

– 7 व 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे ग्रीन पटाखे, 9 नवंबर से फिर लागू होगा पूर्ण प्रतिबंध*

एडीसी जगनिवास ने अधिकारियों की बैठक में दिए जरूरी निर्देश*

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 05 नवंबर। दीपावली पर्व के अवसर पर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन सजग है। ग्रीन पटाखों की सुरक्षित बिक्री और निर्धारित समय में उनके इस्तेमाल को लेकर अधिकारी सजगता से कार्य करें

। यह निर्देश एडीसी जगनिवास ने गुरुवार को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में दिए। उन्होंने वीसी के माध्यम से सभी एसडीएम और बीडीपीओ के साथ ग्रीन पटाखों को लेकर सुरक्षा प्रबंधों, बिक्री केंद्रों और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों की पालना सुनिश्चित करने के साथ आमजन को भी निर्धारित दिशा-निर्देशों के प्रति जागरूक किया जाए।

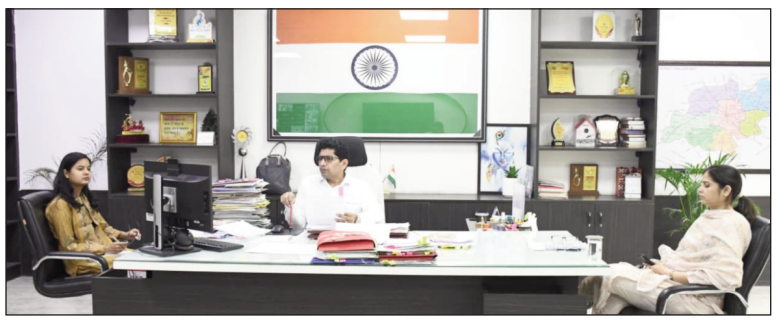
एडीसी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 7 और 8 नवंबर को केवल सीएसआईआर-नीरी से अनुमोदित ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इनके इस्तेमाल के लिए सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित समय के अलावा पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। पटाखों की बिक्री 6 नवंबर तक होगी वहीं 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध दोबारा प्रभावी हो जाएगा।

ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित, अन्य जगह बिक्री पर रोक

एडीसी जगनिवास ने बताया कि जिला में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित केंद्र बनाए गए हैं। झज्जर में महर्षि दयानंद खेल स्टेडियम, कहाडी रोड नजदीक पुलिस स्टेशन माछरौली, खेल स्टेडियम मातनहेल, खेल स्टेडियम जटवाड़ा, बहादुरगढ़ में डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम, गोल मार्किट ग्राम पंचायत सांखोल, बादली में पंचायती भूमि, नजदीक रामसर जोहड़ बादली, तथा बेरी में भागलपुरी चौक स्थित खेल स्टेडियम में ग्रीन पटाखे की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन्ही निर्धारित स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। केवल सीएसआईआर-नीरी से अनुमोदित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री 6 नवम्बर 2026 तक होगी। निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखों की बिक्री नहीं होगी और ऑनलाइन खरीद-फरोख्त पर भी प्रतिबंध रहेगा। अवैध पटाखों की बिक्री किसी सूरत में ना हो, इसके लिए अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करें।

बिक्री केंद्रों पर फायर ब्रिगेड और सुरक्षा उपकरण रहेंगे उपलब्ध

एडीसी ने बताया कि सभी निर्धारित बिक्री केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इन केंद्रों पर फायर ब्रिगेड, आग बुझाने के आवश्यक उपकरण और अन्य सुरक्षा संसाधन उपलब्ध रहेंगे। संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौके पर तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए



कि बिक्री केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए।

चारों उपमंडलों में एसडीएम की निगरानी में काम करेंगी संयुक्त टीमें

एडीसी जगनिवास ने बताया कि झज्जर, बहादुरगढ़, बादली और बेरी उपमंडलों में संयुक्त निरीक्षण एवं गश्ती टीमें गठित की गई हैं। संबंधित एसडीएम अपने-अपने उपमंडलों में इन टीमों के कार्यों की निगरानी करेंगे और पटाखों की बिक्री एवं इस्तेमाल से जुड़े नियमों की पालना सुनिश्चित करवाएंगे। इन टीमों में पुलिस अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, बीडीपीओ, नगर निकायों, अग्निशमन विभाग तथा आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी शामिल हैं। टीमें निर्धारित बिक्री केंद्रों का निरीक्षण करने के साथ ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड की रैंडम जांच करेंगी। अवैध अथवा पारंपरिक पटाखे मिलने पर उन्हें जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

संवेदनशील क्षेत्रों में 300 मीटर के दायरे तक पटाखे चलाने पर रोक

एडीसी ने बताया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शिक्षण संस्थानों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में नो-क्रैकर जोन निर्धारित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में पटाखों का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिक्री केंद्रों पर आवश्यक दिशा-निर्देशों वाले बैनर लगाए जाएं और दुकानदार अपनी दुकान में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की प्रति प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें।

नियमों की अवहेलना पर सुरक्षा राशि होगी जब्त, लाइसेंस भी होगा रद्द

एडीसी ने कहा कि पटाखा निर्माताओं एवं व्यापारियों से निर्धारित मौद्रिक सुरक्षा राशि जमा करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सुरक्षा राशि जब्त करने के साथ संबंधित व्यापारी का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण एवं निगरानी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि पर्यावरण और आमजन की सुरक्षा से जुड़े इन आदेशों की पालना में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए।

यह अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर सीटीएम ऋतु, डीडीपीओ निशा तंवर, डीईओ रतिंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

जिला प्रशासन, झज्जर · DISTRICT ADMINISTRATION, JHAJJAR

ग्रीन दिवाली 2026 · Green Diwali

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश – पटाखों के नियम · Supreme Court directions on firecrackers

विक्री · SALE
4–6 नवंबर
केवल निर्धारित स्थानों पर, लाइसेंसधारी विक्रेताओं से
Only at designated sites, from licensed traders (see page 2)

पटाखे चलाना · BURSTING
7 व 8 नवंबर
सुबह 6–7 बजे और रात 8–10 बजे
Only 6–7 AM and 8–10 PM

पूर्ण प्रतिबंध · FULL BAN
9 नवंबर से
निर्माण, भंडारण, बिक्री व चलाना सब मना
No manufacture, storage, sale or bursting

ग्रीन पटाखे की पहचान कैसे करें · How to identify a green cracker

1 पूरी तरह सीलबंद डिब्बा
Completely sealed box. No loose or open packs.

2 डिब्बे पर QR कोड
QR code specific to the product and batch.

3 स्कैन करें · Scan it
It must show the manufacturer, NEERI registration, PESO/DM licence, formulation and test certificate.

प्रतिबंधित · Prohibited
- पारंपरिक पटाखे · Conventional crackers
- बेरियम युक्त या NEERI द्वारा अनुमोदित न किए गए पटाखे · Barium or unapproved crackers
- लड़ी और माला · Ladis (series crackers) and garlands
- ऑनलाइन बिक्री या डिलीवरी · Online sale or delivery
- निर्धारित स्थानों के बाहर बिक्री · Sale outside designated sites

नो-क्रैकर जोन · No-Cracker Zones
इनके 300 मीटर के भीतर पटाखे न चलाएं:
No crackers within 300 metres of:
- अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र · Hospitals, nursing homes, health centres
- वृद्धाश्रम · Old-age homes
- शिक्षण संस्थान · Educational institutions
- अधिसूचित साइलेंस जोन · Notified silence zones

उल्लंघन पर कार्रवाई · Action on violation
पटाखे मौके पर जब्त · भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 व अन्य कानूनों के तहत मुकदमा · लाइसेंस रद्द · जमानत राशि जब्त
Seizure on the spot · prosecution under Section 223, Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and other laws · licence cancelled · security forfeited

पटाखों का धुआं बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा व हृदय रोगियों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जिम्मेदारी से त्योहार मनाएं।
Cracker smoke harms children, the elderly and people with asthma or heart disease the most. Celebrate responsibly.

शिकायत करें · To complain
डायल 112 · समीर ऐप पर शिकायत करें

ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी

जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने जारी किए विस्तृत दिशा-निर्देश

4 से 6 नवंबर तक निर्धारित स्थानों पर लाइसेंसधारक विक्रेता ही कर सकेंगे ग्रीन पटाखों की बिक्री

7 व 8 नवंबर को निर्धारित समय पर ही फोड़ सकेंगे पटाखे

9 नवंबर से जिला में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से लागू होगा पूर्ण प्रतिबंध

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 05 नवंबर। जिला की सीमा में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम तथा आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर विस्तृत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार जिला झज्जर में केवल निर्धारित शर्तों के तहत प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। इन निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शुक्रवार 6 नवंबर तक होगी ग्रीन पटाखों की बिक्री

जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि 4 से 6 नवंबर 2026 तक केवल लाइसेंसधारक विक्रेता ही ग्रीन पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। बिक्री केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी। पटाखे सीएसआईआर-एनईईआरआई से पंजीकृत और पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं के होने चाहिए। विक्रेताओं को बिक्री शुरू करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में संबंधित एसडीएम के माध्यम से 50 हजार रुपये की सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर यह राशि जब्त कर ली जाएगी और संबंधित विक्रेता का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

जिला में इन स्थानों पर निर्धारित किए गए हैं बिक्री केंद्र

जिलाधीश की ओर से जारी आदेश अनुसार ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए निम्न स्थान निर्धारित किए गए हैं। झज्जर उपमंडल में महर्षि दयानंद स्टेडियम झज्जर, माछरौली में पुलिस थाना के नजदीक काहड़ी रोड, मातनहेल के खेल स्टेडियम और जटवाड़ा के खेल स्टेडियम को बिक्री केंद्र बनाया गया है। बहादुरगढ़ उपमंडल में ग्राम पंचायत सांखोल के गोल मार्केट के नजदीक खेल स्टेडियम तथा अंबेडकर स्टेडियम बहादुरगढ़ में बिक्री की व्यवस्था रहेगी। इसी प्रकार बेरी में स्टेडियम तथा बादली में रामसर जोहड़ के नजदीक पंचायत भूमि पर बिक्री केंद्र निर्धारित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाइसेंसधारक विक्रेता केवल इन्हीं निर्धारित स्थानों पर बिक्री कर सकेंगे। किसी अन्य स्थान पर पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

क्यूआर कोड और सीलबंद पैकिंग वाले पटाखे ही मान्य

जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने बताया कि केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी, जिनके पैकेट पूरी तरह सीलबंद होंगे और जिन पर उत्पाद एवं बैच की पहचान वाला वैध क्यूआर कोड अंकित होगा। क्यूआर कोड स्कैन करने पर निर्माता, एनईईआरआई पंजीकरण, पीईएसओ एवं लाइसेंस संबंधी जानकारी, उत्पाद की संरचना और परीक्षण प्रमाणपत्र की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। बेरियम युक्त, अप्रमाणित अथवा पारंपरिक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। लड़ियों और माला के रूप में जुड़े पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। ई-कॉमर्स अथवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की खरीद-बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

7 व 8 नवंबर को तय समय में ही फोड़ सकेंगे पटाखे

जिलाधीश ने बताया कि ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक तथा रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक रहेगी। निर्धारित तिथि और समय के अतिरिक्त पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शिक्षण संस्थानों तथा अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे को नो-क्रैकर जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

एसडीएम की निगरानी में गठित होंगी संयुक्त टीमें, नियमित होगी जांच

जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने बताया कि आदेशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला में थाना स्तर पर पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संयुक्त गश्त एवं निरीक्षण टीमें गठित की गई हैं। संबंधित एसडीएम अपने-अपने उपमंडल में इन टीमों के समग्र पर्यवेक्षण के लिए नोडल प्राधिकारी होंगे और संबंधित एसीपी के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

जनसमस्याओं के समाधान में कारगर भूमिका निभा रहे समाधान शिविर : डीसी

जिला स्तरीय समाधान शिविर में डीसी वर्षा खांगवाल ने सुनीं नागरिकों की समस्याएं



झज्जर,05 नवम्बर। आमजन की समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी सजगता व गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है। जिला व उपमंडल स्तर पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए प्रभावी मंच साबित हो रहे हैं। यह बात डीसी वर्षा खांगवाल ने गुरुवार को लघु सचिवालय सभागार में आयोजित समाधान शिविर में जनसुनवाई के दौरान कही। उन्होंने शिविर में पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

लंबित शिकायतों का आपसी समन्वय से समाधान करें अधिकारी

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों की लगातार निगरानी की जा रही है। अब तक प्राप्त अधिकांश शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि लंबित शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों को केवल दर्ज करने तक सीमित न रखें, बल्कि उनके समाधान की प्रक्रिया पर भी नियमित नजर रखें।

अंत्योदय की भावना के साथ जनसेवा को प्राथमिकता दे रही सरकार

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को आयोजित होने वाले समाधान शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरल और प्रभावी माध्यम उपलब्ध करवाना है। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपस्थित रहते हैं, जिससे नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय की भावना के साथ जनसेवा को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना जाए तथा उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

नागरिकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान करना ही उद्देश्य

डीसी ने कहा कि समाधान शिविरों का उद्देश्य केवल शिकायतों को सुनना नहीं, बल्कि नागरिकों को प्रभावी समाधान उपलब्ध करवाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए निर्धारित समय में कार्रवाई पूरी करें।

परिवार पहचान पत्र और पेंशन से जुड़े मामले पहुंचे

समाधान शिविर में नागरिक परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचे। इसके अलावा पुलिस विभाग से जुड़े मामलों को भी नागरिकों ने अधिकारियों के समक्ष रखा। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक मामले की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कई मामलों में मौके पर ही आवश्यक समाधान सुनिश्चित किया गया।

यह अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर सीईओ जिला परिषद मनीष, पीडब्ल्यूडी विभाग से एक्सईएन सुमित कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

बाल महोत्सव में बच्चों ने बिखेरे प्रतिभा के रंग, कला और आत्मविश्वास से जीता सबका दिल

एसडीएम रवि मीणा ने बाल कलाकारों का बढ़ाया उत्साह, कहा पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले विद्यार्थी

बाल कलाकारों को दिया सफलता का मंत्र, अनुशासन और निरंतर मेहनत को बताया कामयाबी की कुंजी

परिवहन विशेष न्यूज







झज्जर, 05 नवंबर। जिला मुख्यालय स्थित बाल भवन परिसर में इन दिनों बच्चों की प्रतिभा, रचनात्मकता और उमंग का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। कोई अपनी कला से रंग भर रहा है तो कोई नृत्य और देशभक्ति की प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह रहा है। मौका है डीसी एवं जिला बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में आयोजित चार दिवसीय बाल महोत्सव-2026 का, जहां जिलाभर के नन्हे कलाकार पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। महोत्सव के तीसरे दिन गुरुवार को एसडीएम झज्जर रवि मीणा ने बाल भवन पहुंचकर विभिन्न प्रतियोगिताओं का अवलोकन किया और प्रतिभागी बच्चों की हौसला अफजाई की। जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा हुड्डा ने एसडीएम रवि मीणा का स्वागत किया।

हर बच्चे में छिपी है एक खास प्रतिभा, जरूरत है उसे मंच देने की

एसडीएम रवि मीणा ने कहा कि प्रत्येक बच्चे के भीतर कोई न कोई विशेष प्रतिभा छिपी होती है। बाल महोत्सव जैसे आयोजन उस प्रतिभा को पहचानने, निखारने और सामने लाने का बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि प्रतियोगिता में जीत हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन पूरे जोश, लगन और मेहनत के साथ भाग लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हार-जीत से घबराने के बजाय प्रत्येक प्रतियोगिता को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में लेना चाहिए।

बच्चों को मेहनत और अनुशासन का दिया मंत्र

बाल भवन के खुशनुमा माहौल को देखकर एसडीएम ने अपने बचपन की यादें भी विद्यार्थियों के साथ साझा कीं। उन्होंने कहा कि बच्चों के बीच आकर उन्हें अपनापन महसूस हो रहा है और बचपन के दिन फिर से याद आ गए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अनुशासन, निरंतर मेहनत और समय का सदुपयोग ही सफलता की मजबूत नींव हैं। बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए और हर अवसर से कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए।

थाली सज्जा से लेकर देशभक्ति की प्रस्तुतियों तक दिखा हुनर

बाल महोत्सव 2026 के तीसरे दिन गुरुवार को थाली सज्जा, कलश सज्जा, पोस्टर मेकिंग, ऑन द स्पॉट स्केचिंग, भाषण, समूह नृत्य और देशभक्ति से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने अपनी कल्पनाशीलता, कलात्मक कौशल और मंचीय प्रतिभा से सभी का ध्यान आकर्षित किया। पूरे आयोजन के दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला।

700 बच्चों ने लिया हिस्सा, आज होगा महोत्सव का समापन

जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा हुड्डा ने बताया कि शुक्रवार 6 नवंबर को चार दिवसीय बाल महोत्सव का समापन होगा। इसमें जिला के विभिन्न स्कूलों के लगभग 700 बच्चे भाग ले रहे हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता मंडल स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, जबकि फैंसी ड्रेस, सोलो सांग, क्ले मॉडलिंग, भाषण, कलश सजावट, फन गेम, हैंडराइटिंग और रंगोली जैसी निर्धारित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सीधे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 14 नवंबर को आयोजित जिला स्तरीय बाल दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का मंच संचालन प्रवक्ता संजय शर्मा और निशा रानी ने संयुक्त रूप से किया।

इस अवसर पर हसला प्रधान कुलदीप नेहरा, कार्यक्रम अधिकारी अक्षमा रानी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में नया नियम - अब देरी होगी भारी, समय पर पंजीकरण ही होगा आसान

1 अक्टूबर 2026 से लागू हुई विलंब वर्गीकरण तालिका, दो साल से पुराने मामलों में सीधे कोर्ट जाना होगा - जनता के लिए जानना जरूरी है पूरा नियम

- प्रस्तुति : संपादकीय विभाग, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

मुख्य तथ्य - एक दृष्टि में

- जारीकर्ता: भारत सरकार, गृह मंत्रालय, पंजीकरण एवं नागरिक उद्धयन विभाग (जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रकोष्ठ)

- अधिसूचना: जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1 अक्टूबर 2026 से लागू नए नियम

- कानून: जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026

- लागू: सभी संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकृत अधिकारियों पर

- मुख्य संदेश: विलंब जितना अधिक होगा, प्रक्रिया उतनी ही कठिन होगी

- सबसे सख्त नियम: दो साल से अधिक पुराने मामलों में अब न्यायिक आदेश के बिना पंजीकरण नहीं होगा

प्रस्तावना - एक कागज जो जीवन भर काम आता है जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ एक कागज नहीं है। यह बच्चे की पहचान है, स्कूल में दाखिले की कुंजी है, आधार, पासपोर्ट, नौकरी, संपत्ति और हर सरकारी योजना का आधार है।

इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र भी परिवार के लिए बेहद जरूरी है - बीमा, पेंशन, संपत्ति हस्तांतरण, बैंक खाता और कानूनी दावों के लिए।

ऐसे में यदि जन्म-मृत्यु का पंजीकरण समय पर न हो, तो परिवार को वर्षों तक परेशानी उठानी पड़ती है।

इसी परेशानी को कम करने और समय पर पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने नया नियम लागू किया है। लेकिन इस नए नियम में एक



सख्त संदेश भी है - देरी करोगे तो प्रक्रिया कठिन होगी।

प्रस्तुत अधिसूचना क्या कहती है? अधिसूचना के अनुसार, विलंब के मामलों के लिए नई वर्गीकरण तालिका 1 अक्टूबर 2026 से लागू की गई है।

समझिए पूरा नियम - सरल भाषा में

1. शून्य से इक्कीस दिन तक - सामान्य प्रक्रिया
- कोई विलंब नहीं माना जाएगा
- कौन करेगा - स्थानीय रजिस्ट्रार (नगर निगम / ग्राम पंचायत)
- दस्तावेज - अस्पताल की पर्ची, माता-पिता का आधार

2. इक्कीस दिन से तीस दिन तक - विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण
- कौन करेगा - स्थानीय रजिस्ट्रार
- दस्तावेज - लेट फीस + शपथ पत्र

3. तीस दिन से एक साल तक - लिखित अनुमति से पंजीकरण
- कौन करेगा - जिला रजिस्ट्रार / अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार
- दस्तावेज - आवेदन पत्र + विलंब का कारण + फीस + सत्यापन

4. एक साल से दो साल तक - आदेश से पंजीकरण (नया नियम)
- कौन करेगा - डीएम / एसडीएम, डीएम द्वारा अधिकृत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
- दस्तावेज - डीएम का लिखित आदेश + सभी दस्तावेजों का सत्यापन + निर्धारित फीस

5. दो साल से अधिक - न्यायिक आदेश से ही पंजीकरण (सबसे सख्त)
- कौन करेगा - प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) कोर्ट
- दस्तावेज - कोर्ट में याचिका + जन्म/मृत्यु का सबूत + दो गवाह + वकील के माध्यम से आदेश

विस्तृत विश्लेषण - 1. क्यों लाया गया यह नया नियम? पहले कई मामलों में लोग वर्षों बाद जन्म-मृत्यु पंजीकरण कराते थे। इससे फर्जी प्रमाण पत्र, गलत उम्र, गलत तिथि और कानूनी विवादों की संभावना बढ़ जाती थी।

नए नियम का उद्देश्य है -
- समय पर पंजीकरण को बढ़ावा देना
- फर्जी और गलत पंजीकरण पर रोक लगाना
- प्रक्रिया को स्पष्ट, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना
- हर जिले में एक समान नियम लागू करना

विस्तृत विश्लेषण - 2. जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

सकारात्मक प्रभाव -
- समय पर पंजीकरण कराने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी।
- अस्पताल में जन्म के बाद तुरंत पंजीकरण की आदत बढ़ेगी।
- दस्तावेजों में गलती और फर्जीवाड़ा कम होगा।

सावधानी वाला पक्ष -
- गांवों, दूर-दराज के क्षेत्रों, गरीब और अशिक्षित परिवारों को इस नियम की जानकारी सबसे पहले पहुंचनी चाहिए।
- यदि किसी परिवार को देर से पता चला, तो उसे कोर्ट तक जाना पड़ सकता है, जिसमें समय, पैसा और वकील की जरूरत होगी।
- दो साल से पुराने मामलों में प्रक्रिया सबसे कठिन होगी, इसलिए पुराने लंबित मामलों को तुरंत निपटाना जरूरी है।

विस्तृत विश्लेषण - 3. याद रखने योग्य दो महत्वपूर्ण बातें अधिसूचना में दो बातें विशेष रूप से याद रखने योग्य बताई गई हैं -

पहली - 30 सितंबर 2026 तक पुराने नियम (डीएम स्तर से काम) हो रहा था।

दूसरी - 1 अक्टूबर 2026 के बाद दो साल से पुराने मामलों में सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा।

इसलिए जिन परिवारों के जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बने हैं, उन्हें तुरंत अपने स्थानीय रजिस्ट्रार से संपर्क करना चाहिए।

जनहित संदेश - जनता क्या करे?

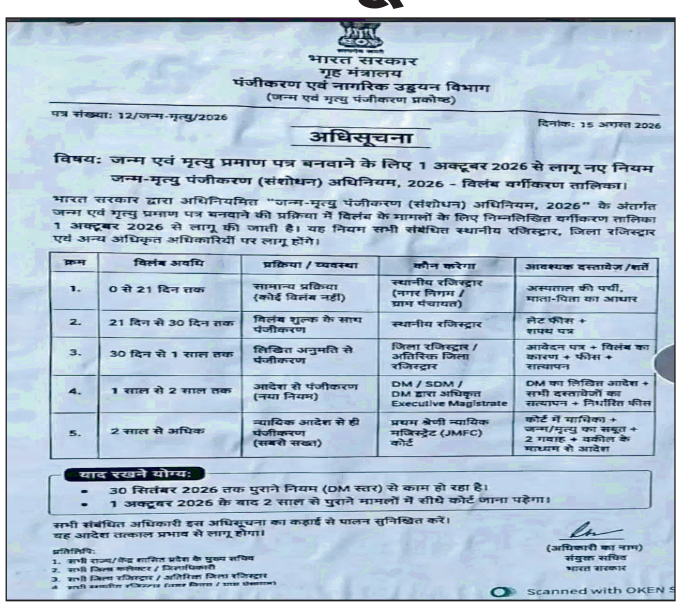
1. अस्पताल से ही शुरू करें प्रक्रिया: बच्चे के जन्म के बाद अस्पताल से मिलने वाली पर्ची को संभाल कर रखें। इक्कीस दिन के भीतर पंजीकरण कराएं।

2. दस्तावेज संभाल कर रखें: माता-पिता का आधार, अस्पताल की पर्ची, शपथ पत्र - सभी दस्तावेजों की प्रति अपने पास रखें।

3. देरी न करें: यदि इक्कीस दिन निकल गए हैं, तो तीस दिन के भीतर ही स्थानीय रजिस्ट्रार के पास जाएं। जितनी देरी होगी, उतनी ही प्रक्रिया कठिन होगी।

4. दलालों से बचें: पंजीकरण की प्रक्रिया सरकारी है। किसी दलाल को पैसा न दें। रजिस्ट्रार कार्यालय से ही सही जानकारी लें।

5. पुराने मामलों को तुरंत निपटाएं: यदि किसी परिवार में दो साल से पुराना जन्म-मृत्यु का मामला लंबित है, तो तुरंत वकील की सलाह लेकर कोर्ट की प्रक्रिया शुरू करें।


भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पंजीकरण एवं नागरिक उद्धयन विभाग
(जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रकोष्ठ)

पत्र संख्या: 12/जन्म-मृत्यु/2026 दिनांक: 15 अगस्त 2026

अधिसूचना

विषय: जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 1 अक्टूबर 2026 से लागू नए नियम
जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 - विलंब वर्गीकरण सारिणी।

भारत सरकार द्वारा अधिनियमित "जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026" के अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में विलंब के मामलों के लिए निम्नलिखित वर्गीकरण सारिणी 1 अक्टूबर 2026 से लागू की जाती है। यह नियम सभी संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकृत अधिकारियों पर लागू होंगे।

क्रम	विलंब अवधि	प्रक्रिया / व्यवस्था	कौन करेगा	आवश्यक दस्तावेज /बातें
1.	0 से 21 दिन तक	सामान्य प्रक्रिया (कोई विलंब नहीं)	स्थानीय रजिस्ट्रार (नगर निगम / ग्राम पंचायत)	अस्पताल की पर्ची, माता-पिता का आधार
2.	21 दिन से 30 दिन तक	विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण	स्थानीय रजिस्ट्रार	लेट फीस + शपथ पत्र
3.	30 दिन से 1 साल तक	लिखित अनुमति से पंजीकरण	जिला रजिस्ट्रार / अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार	आवेदन पत्र + विलंब का कारण + फीस + सत्यापन
4.	1 साल से 2 साल तक	आदेश से पंजीकरण (नया नियम)	DM / SDM / DM द्वारा अधिकृत Executive Magistrate	DM का लिखित आदेश + सभी दस्तावेजों का सत्यापन + निर्धारित फीस
5.	2 साल से अधिक	न्यायिक आदेश से ही पंजीकरण (सबसे सख्त)	प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) कोर्ट	कोर्ट में याचिका + जन्म/मृत्यु का सबूत + 2 गवाह + वकील के माध्यम से आदेश

याद रखने योग्य:
- 30 सितंबर 2026 तक पुराने नियम (DM स्तर) से काम हो रहा है।
- 1 अक्टूबर 2026 के बाद 2 साल से पुराने मामलों में सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा।

सभी संबंधित अधिकारी इस अधिसूचना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अधिकारी का नाम)
संयुक्त सचिव
भारत सरकार

प्रतिलिपि:
1. सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश के मुख्य सचिव
2. सभी जिला कलेक्टर / जिलाधिकारी
3. सभी जिला रजिस्ट्रार / अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार
4. सभी समाहित रजिस्ट्रार जिला / उप संभागीय

Scanned with OKEN S

संपादकीय मांग - पांच ठोस बिंदु

1. गांव-गांव में जागरूकता अभियान हो: पंचायत, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता और स्कूलों के माध्यम से नए नियम की जानकारी हर परिवार तक पहुंचाई जाए।

2. अस्पतालों में ही पंजीकरण काउंटर बने: हर सरकारी और निजी अस्पताल में जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए सहायता केंद्र हो, ताकि परिवार को भटकना न पड़े।

3. फीस और प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक हो: हर रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर फीस, दस्तावेज और प्रक्रिया की सूची बड़े अक्षरों में लिखी हो।

4. गरीब परिवारों को विशेष सहायता मिले: जिन परिवारों के पास दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें दस्तावेज जुटाने में सरकारी सहायता मिले, ताकि वे कोर्ट के चक्कर से बच सकें।

5. डिजिटल व्यवस्था मजबूत हो: ऑनलाइन आवेदन, एसएमएस सूचना और डिजिटल प्रमाण पत्र की व्यवस्था को और सरल बनाया जाए।

संपादकीय टिप्पणी यह नया नियम सख्त जरूर है, लेकिन इसका उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को मजबूत करना है।

समय पर पंजीकरण करना सिर्फ कानूनी औपचारिकता नहीं है, यह बच्चे के भविष्य की सुरक्षा है, परिवार के अधिकार की रक्षा है।

इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नियम की जानकारी हर घर तक पहुंचाए, और जनता की जिम्मेदारी है कि वह समय पर अपना पंजीकरण कराए।

क्योंकि एक समय पर बना प्रमाण पत्र, जीवन भर की परेशानी से बचाता है।

और देरी से बना प्रमाण पत्र, कोर्ट के चक्कर में उलझा देता है।

राउरकेला में नकली ब्रांडेड हार्डवेयर उत्पादों के कारोबार पर पुलिस का छापा, सुप्रीम कंपनी के नाम पर कथित फर्जीवाड़े की जांच तेज

एसडीपीओ सुशांत कुमार दास के नेतृत्व में कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी; जिस गोदाम में मिला संदिग्ध माल, अब उसकी जमीन, भवन निर्माण और स्वीकृत नक्शे की जांच की भी उठी मांग

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला



ब्रांडेड उत्पादों की आड़ में कथित तौर पर नकली हार्डवेयर सामग्री के कारोबार का मामला सामने आने के बाद राउरकेला पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सुप्रीम कंपनी के नाम से बेचे जा रहे कथित नकली उत्पादों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में एक साथ छापेमारी अभियान चलाया। इस कार्रवाई से हार्डवेयर कारोबार से जुड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी हलचल देखी जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एसडीपीओ सुशांत कुमार दास के नेतृत्व में पुलिस की अलग-अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। अभियान ब्राह्मणी तरंग और उदितनगर थाना क्षेत्रों के अलावा अन्य थाना क्षेत्रों में भी चलाया गया है। पुलिस का उद्देश्य शिकायतों के आधार पर संदिग्ध उत्पादों की पहचान करना, उनके स्रोत का पता लगाना तथा कथित नकली सामान के कारोबार से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच करना है। हालांकि, अब तक जब्ती और आगे की कार्रवाई का विस्तृत आधिकारिक विवरण सामने आना बाकी है।

छापेमारी वाले गोदाम की इमारत भी जांच के दायरे में आए इस पूरे घटनाक्रम के बीच जिस गोदाम अथवा व्यावसायिक परिसर में पुलिस ने छापेमारी की है, उसकी भवन संबंधी वैधानिकता को लेकर भी स्थानीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। नागरिकों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि बीच बाजार स्थित इतनी बड़ी इमारत का निर्माण किन स्वीकृतियों और दस्तावेजों के आधार पर हुआ है।

लोगों की मांग है कि संबंधित नगर निकाय और सक्षम प्रशासनिक अधिकारी भवन के जमीन संबंधी दस्तावेजों, भूमि के उपयोग की अनुमति, स्वीकृत बिल्डिंग प्लान, निर्माण की मंजूरी तथा वास्तविक निर्माण की स्थिति का निष्पक्ष सत्यापन करें।

यदि निर्माण में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। घनी व्यावसायिक आबादी के बीच भवन सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था और आसपास के नागरिकों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अब सवाल केवल नकली सामान की बरामदगी का नहीं, बल्कि उस पूरे व्यावसायिक तंत्र की पारदर्शिता का भी है। पुलिस की जांच के साथ संबंधित प्रशासनिक विभागों की निष्पक्ष पड़ताल ही इस मामले की वास्तविक तस्वीर सामने ला सकती है।

सुंदरगढ़ में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल! 20 सीएचसी में डॉक्टरों के 203 पद खाली, विशेषज्ञ चिकित्सकों का भी भारी टोटा

स्वीकृत पदों में 48.68 प्रतिशत रिक्तियां; सर्जरी विभाग में 20 में से 19 पद खाली, प्रसूति और बाल चिकित्सा सेवाएं भी प्रभावित

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला



स्वास्थ्य सेवाओं को आम आदमी की बुनियादी जरूरत और सरकारी व्यवस्था की प्राथमिकता माना जाता है, लेकिन सुंदरगढ़ जिले की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था के आंकड़े एक चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। जिले के 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। स्थिति यह है कि स्वीकृत 417 डॉक्टरों के पदों में से 203 पद लंबे समय से रिक्त हैं। यानी लगभग 48.68 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। इसका सीधा खामियाजा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन स्वास्थ्य केंद्रों में केवल 214 चिकित्सक कार्यरत हैं। सबसे गंभीर स्थिति विशेषज्ञ डॉक्टरों की है। कुल 80 स्वीकृत विशेषज्ञ पदों में महज 19 चिकित्सक उपलब्ध हैं, जबकि 61 पद खाली पड़े हैं।

विभागवार स्थिति और भी चिंताजनक है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के 20 पदों में केवल 7 डॉक्टर कार्यरत हैं और 13 पद रिक्त हैं। बाल रोग विभाग में भी 20 में से 13 पद खाली हैं। मेडिसिन विभाग में 20 स्वीकृत पदों के मुकाबले 7 चिकित्सक ही उपलब्ध हैं। सबसे भयावह स्थिति सर्जरी विभाग की है, जहां 20 में से 19 पद रिक्त हैं। अर्थात पूरे जिले के इन 20 सीएचसी में सर्जरी विशेषज्ञ के रूप में केवल एक चिकित्सक कार्यरत है।

अन्य श्रेणी के चिकित्सकों की स्थिति भी बेहतर नहीं है। 337 स्वीकृत पदों में से 195 पर नियुक्तियां हैं, जबकि 142 पद खाली हैं।

इस चिकित्सकीय अभाव का असर केवल अस्पतालों की कार्यप्रणाली तक सीमित नहीं है। प्रसव पीड़ा से जूझती महिलाओं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों और बच्चों को समय पर विशेषज्ञ उपचार नहीं मिल पाना गंभीर चिंता का विषय है। ग्रामीण मरीजों को छोटी-बड़ी बीमारियों के उपचार के लिए जिला मुख्यालय अथवा निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता है।

अब सवाल राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही का है। जब लगभग आधे चिकित्सकीय पद खाली हैं, तो ग्रामीण जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिलेंगी?

सरकार को तत्काल रिक्त पदों पर नियुक्ति, विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और सीएचसी स्तर पर आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में समयबद्ध कदम उठाने चाहिए।

आखिर ग्रामीण नागरिकों का जीवन भी उतना ही मूल्यवान है जितना शहरों में रहने वाले लोगों का। स्वास्थ्य सेवाओं में यह असमानता अब और स्वीकार्य नहीं हो सकती।

रहमत नगर में अवैध कबाड़ कारोबार पर पुलिस का बुलडोजर, कार्रवाई से जनता आस्वस्त

पुलिस की सख्ती के बाद अब टीसीआई, वेदव्यास मंदिर रोड, बेलडीह, माड़ियाकुदार और दांडियापाली के कबाड़ गोदामों पर भी उठे सवाल; अन्य अवैध ठिकानों पर कार्रवाई की मांग तेज

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला



शहर में अवैध कारोबार और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ राउरकेला पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को रहमत नगर में अवैध कबाड़ कारोबार के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे एक मकान को ध्वस्त कर दिया। प्लांट साइट थाना पुलिस की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई को शहर में अवैध स्क्रैप कारोबार के विरुद्ध एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में हर्ष और संतोष देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि लंबे समय से अवैध गतिविधियों के खिलाफ जिस प्रकार की निर्णायक कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही थी, पुलिस ने उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार, संबंधित मकान को पुलिस ने पहले ही अवैध कबाड़ कारोबार के मामले में सील कर दिया था। संपत्ति का मालिक, जिस पर कथित रूप से इस कारोबार में संलिप्त रहने का आरोप है, गिरफ्तार किया जा चुका है और फिलहाल जेल में बंद है। इसके बाद पुलिस ने मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की।

हालांकि, रहमत नगर की इस कार्रवाई के बाद अब शहर के दूसरे इलाकों में संचालित हो रहे संदिग्ध कबाड़ गोदामों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय नागरिकों के अनुसार, टीसीआई, वेदव्यास मंदिर रोड, बेलडीह और माड़ियाकुदार जैसे क्षेत्रों में, जमुनानाकी से पहले कई स्थानों पर कबाड़ गोदाम संचालित होने की चर्चा है। वहीं दांडियापाली के नीचे नाले के समीप स्थित विशाल कबाड़ गोदाम में भी कबाड़ के नाम पर बड़े पैमाने पर स्क्रैप कारोबार जारी रहने की बात सामने आ रही है।

नागरिकों का सवाल है कि यदि रहमत नगर में पुलिस इतनी निर्णायक कार्रवाई कर सकती है, तो अन्य संदिग्ध गोदामों की भी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर इन गोदामों में आने वाला स्क्रैप कहां से आता है, उसका खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड क्या है और कारोबार के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमति तथा दस्तावेज उपलब्ध हैं या नहीं?

जनता की मांग है कि पुलिस और संबंधित प्रशासनिक विभाग इन सभी स्थलों का भौतिक सत्यापन करें। वैध कारोबारियों को परेशान किए बिना अवैध गतिविधियों, चोरी के माल की खरीद-बिक्री और आपराधिक नेटवर्क से संभावित संबंधों की जांच की जाए।

रहमत नगर में हुई कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब शहर की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस की यह सख्ती अन्य संदिग्ध कबाड़ ठिकानों तक भी पहुंचती है या नहीं।

राउरकेला के विकास पर जमीनों का ग्रहण, RSP और सरकार की उदासीनता से शहर का भविष्य फाइलों में कैद!

हजारों एकड़ जमीन के स्वामित्व, उपयोग और हस्तांतरण का पेचीदा सवाल; करोड़ों की बेशकीमती भूमि अनुपयोगी, सड़क, नाली और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर लग रहा ब्रेक

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार राउरकेला



देश के प्रमुख औद्योगिक एवं नियोजित शहरों में शुमार राउरकेला आज विकास की एक ऐसी विडंबना से जूझ रहा है, जिसका समाधान वर्षों से सरकारी फाइलों और भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में उलझा हुआ है। जिस राउरकेला इस्पात संयंत्र (RSP) ने शहर को अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक पहचान दिलाई, उसी संयंत्र के अधीन मौजूद विशाल भूखंडों का समुचित उपयोग और हस्तांतरण आज शहरी विकास के सामने गंभीर प्रश्न बनकर खड़ा है।

हनुमान वाटिका से बिसरा चौक और सेक्टर-21 चौक तक तथा पानपोष के हॉकी चौक से हनुमान वाटिका की ओर जाने वाले मार्ग के आसपास स्थित विशाल भूखंडों को लेकर स्थानीय स्तर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि इन जमीनों का प्रभावी उपयोग नहीं होने से सड़क चौड़ीकरण, नाली निर्माण, संपर्क मार्ग और अन्य नागरिक सुविधाओं के विस्तार में बाधाएं पैदा हो रही हैं। इन भूखंडों के वास्तविक स्वामित्व, वर्तमान उपयोग और हस्तांतरण की स्थिति का आधिकारिक सत्यापन आवश्यक है।

भूमि अधिग्रहण का इतिहास भी इस समस्या की गंभीरता उजागर करता है। उपलब्ध सरकारी अभिलेखों के अनुसार, 1950 के दशक में RSP की स्थापना के लिए कुल 19,722.69 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिसमें 14,824.18 एकड़ निजी भूमि शामिल थी। बाद के वर्षों में लगभग 5,000 एकड़ जमीन राज्य सरकार को वापस किए जाने का उल्लेख मिलता है। वर्ष 2016 में करीब 2,000 एकड़ अतिक्रमित भूमि मुक्त कराकर राज्य सरकार को लौटाने के निर्देश भी दिए गए थे।

दिसंबर 2023 में संसद में प्रस्तुत केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के जवाब के अनुसार, RSP की भूमि का स्वामित्व फ्रीहोल्ड नहीं, बल्कि लीजहोल्ड आधार पर है। वहीं नवंबर 2025 में सामने आई जानकारी के अनुसार, लगभग 1,200 एकड़ भूमि अतिक्रमण की समस्या से प्रभावित थी और करीब 300 परिवार वहां निवास कर रहे थे। यह स्थिति भूमि प्रबंधन की जटिलता को दर्शाती है।

अब सबसे बड़ा सवाल ओडिशा सरकार, RSP प्रबंधन और जिला प्रशासन से है। आखिर अनुपयोगी जमीनों का संयुक्त सर्वेक्षण, सीमांकन और उपयोगिता निर्धारण कब होगा? जिन भूखंडों की औद्योगिक आवश्यकता नहीं है, उनके वैधानिक हस्तांतरण का रास्ता कब खुलेगा?

राउरकेला को धूल, जर्जर सड़कों, अव्यवस्थित विद्युत तारों और अपर्याप्त नागरिक सुविधाओं से मुक्त करने के लिए जमीन संबंधी गतिरोध समाप्त करना अनिवार्य है।

सरकार को समझना होगा कि जमीन केवल स्वामित्व का विषय नहीं, जनहित और विकास का संसाधन भी है। RSP की औद्योगिक प्रगति और राउरकेला का नागरिक विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए। अब फाइलों से बाहर निकलकर जमीन पर निर्णय लेने का समय आ गया है।

चौपाल से संसद तक: नारी शक्ति की बुलंद आवाज़



डॉ. विजय गर्ग
रिटायर्ड प्रिंसिपल | एमिनेंट साइंटिस्ट



महिला प्रतिनिधियों की भूमिका केवल बैठकों में भाग लेने तक सीमित नहीं है। अनेक महिलाएं गांवों में पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जागरूकता का विकास हुआ है।

भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब समाज के प्रत्येक वर्ग को निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान अवसर मिले। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सदियों तक सामाजिक रूढ़ियों, आर्थिक निर्भरता और लैंगिक भेदभाव के कारण महिलाओं की आवाज़ सीमित रही। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल रही हैं। गांव की चौपाल से लेकर संसद तक महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और नेतृत्व की नई मिसाल कायम कर रही हैं।

भारत में महिलाएं परिवार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वे खेतों में काम करती हैं, परिवार संभालती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती हैं। इसके बावजूद लंबे समय तक राजनीतिक निर्णयों में उनकी भागीदारी सीमित रही। अब पंचायतों और स्थानीय निकायों में आरक्षण ने महिलाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान किया है।

73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया। कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया है। परिणामस्वरूप लाखों महिलाएं सरपंच, पंच, पार्षद और स्थानीय प्रतिनिधि बनकर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुई हैं।

महिला प्रतिनिधियों की भूमिका केवल बैठकों में भाग लेने तक सीमित नहीं है। अनेक महिलाएं गांवों में पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जागरूकता का विकास हुआ है।

हालांकि, इस बदलाव के सामने कई चुनौतियां भी हैं। कुछ स्थानों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य निर्णय लेते हैं। इसे अक्सर 'सरपंच पति' की समस्या कहा जाता है। अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक दबाव और प्रशासनिक जानकारी की कमी भी महिलाओं के प्रभावी नेतृत्व में बाधा बनती है। इसलिए केवल राजनीतिक पद देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण, अधिकारों की जानकारी और स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर देना भी आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी समय की मांग है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची है। इसी उद्देश्य से 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका प्रभाव संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया के बाद लागू होना है।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर का विषय है। जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, तो परिवार, बच्चों, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी उचित महत्व मिलता है।

इसके लिए राजनीतिक दलों को महिलाओं को टिकट देने, नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने की आवश्यकता है। परिवारों और समाज को भी महिलाओं के राजनीतिक सपनों का समर्थन करना चाहिए।

आज आवश्यकता है कि गांव की चौपाल पर उठने वाली महिलाओं की आवाज़ संसद के गलियारों तक पहुंचे। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल सम्मान देना नहीं, बल्कि अधिकार, अवसर और निर्णय लेने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। जब महिलाएं नेतृत्व करेंगी, तभी लोकतंत्र अधिक समावेशी, संवेदनशील और मजबूत बनेगा।

सेवानिवृत्त प्राचार्य। प्रख्यात वैज्ञानिक
स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर., मलोट, पंजाब –



भविष्य की खेती: विज्ञान, प्रकृति और किसान का संगम

डॉ. विजय गर्ग

कृषि केवल अन्न उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि मानव सभ्यता, अर्थव्यवस्था और जीवन का आधार है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़ी हुई है। लेकिन बदलते जलवायु चक्र, घटते भूजल स्तर, मिट्टी की उर्वरता में कमी, बढ़ती उत्पादन लागत और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव ने कृषि के सामने अनेक चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। ऐसे समय में भविष्य की खेती का रास्ता विज्ञान, प्रकृति और किसान के बीच संतुलित तालमेल स्थापित करने में है।

आज आवश्यकता केवल अधिक उत्पादन करने की नहीं, बल्कि ऐसी खेती विकसित करने की है जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना किसानों की आय बढ़ाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसे ही टिकाऊ कृषि कहा जाता है।

विज्ञान और तकनीक से बदलती खेती

आधुनिक विज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाएँ पैदा की हैं। ड्रोन, सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह तकनीक और डिजिटल कृषि उपकरण किसानों को बेहतर निर्णय लेने में सहायता कर रहे हैं।

ड्रोन के माध्यम से खेतों की निगरानी, फसलों की स्थिति का आकलन और आवश्यकतानुसार छिड़काव किया जा सकता है। मिट्टी और नमी के सेंसर सिंचाई की जरूरत का पता लगाने में मदद करते हैं। इससे पानी और ऊर्जा की बचत होती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मौसम, मिट्टी, फसल की स्थिति और कीटों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करके किसानों को संभावित समस्याओं के बारे में समय रहते जानकारी दे सकती है। मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान मौसम की जानकारी, बाजार भाव और कृषि विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

हालाँकि, तकनीक तभी उपयोगी है जब वह किसानों की आर्थिक क्षमता, स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

मिट्टी का स्वास्थ्य: खेती की असली पूँजी

उपजाऊ मिट्टी कृषि की सबसे बड़ी संपत्ति है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का असंतुलित उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य, जल स्रोतों और जैव विविधता को प्रभावित कर सकता है।

मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाना, हरी खाद का प्रयोग, जैविक खाद डालना और फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करने से मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

मिट्टी की नियमित जांच से किसानों को यह समझने में सहायता मिलती है कि खेत को किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है। इससे अनावश्यक उर्वरकों के प्रयोग और खेती की लागत को कम किया जा सकता है।

जल संरक्षण और आधुनिक सिंचाई

जलवायु परिवर्तन और भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण जल संकट गंभीर होता जा रहा है। खेती में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकें पानी का बेहतर उपयोग करने में सहायक हैं। वर्षा जल संचयन, खेतों में पानी रोकने की व्यवस्था और कम पानी में उगने वाली फसलों को प्रोत्साहन देना भी महत्वपूर्ण है।

विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में धान की खेती के कारण भूजल पर दबाव बढ़ा है। किसानों को स्थानीय जल उपलब्धता के अनुसार मक्का, दालें, तिलहन और अन्य वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इसके लिए उचित बाजार, सरकारी सहायता और खरीद की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

जैव विविधता और प्राकृतिक खेती

प्रकृति और कृषि का संबंध अत्यंत गहरा है। मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, केंचुए, पक्षी और मिट्टी के सूक्ष्म जीव कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मिश्रित खेती, अंतरवर्ती फसलें, कृषि वानिकी और स्थानीय बीजों का संरक्षण जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं। प्राकृतिक और जैविक खेती के तरीकों से रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम करने के अवसर मिलते हैं। हालांकि, इन तरीकों को अपनाते समय उत्पादन, लागत और बाजार की स्थिति का वैज्ञानिक मूल्यांकन भी जरूरी है।

किसान की आय और बाजार की भूमिका

टिकाऊ खेती तभी सफल हो सकती है जब किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो। केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है; किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना भी जरूरी है।

खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, कोल्ड चेन, किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और सीधे बाजार तक पहुँच किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। छोटे किसानों को आधुनिक तकनीक, सस्ती मशीनरी, कृषि ऋण, बीमा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना भी आवश्यक है।

स्मार्टफोन से पहले संस्कार: बच्चों में संवाद, संवेदनशीलता और जीवन-मूल्यों का विकास

डॉ. विजय गर्ग

आज का युग तकनीक और डिजिटल संचार का युग है। स्मार्टफोन हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बच्चे भी छोटी उम्र से ही मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल खेलों से जुड़ रहे हैं। स्मार्टफोन ने शिक्षा, जानकारी और मनोरंजन के नए रास्ते खोले हैं, लेकिन इसके साथ बच्चों के व्यवहार, सोचने के तरीके और सामाजिक संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि बच्चों को स्मार्टफोन कब देना चाहिए, बल्कि यह भी है कि क्या हमने उन्हें इसका जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए तैयार किया है?

तकनीक से पहले जीवन-मूल्यों की शिक्षा

स्मार्टफोन बच्चों को जानकारी दे सकता है, लेकिन सही और गलत में अंतर करना, दूसरों का सम्मान करना और जिम्मेदारी से व्यवहार करना उन्हें परिवार और समाज से सीखना पड़ता है। बच्चों को छोटी उम्र से ही सच्चाई, ईमानदारी, विनम्रता, अनुशासन, सहयोग और दूसरों की सहायता करने की भावना सिखानी चाहिए।

यदि बच्चा तकनीक का उपयोग करना तो सीख जाए, लेकिन उसमें नैतिकता और जिम्मेदारी की समझ न हो, तो ज्ञान का सही लाभ नहीं उठाया जा सकता। इसलिए डिजिटल शिक्षा के साथ जीवन-मूल्यों की शिक्षा भी आवश्यक है।

संवाद की कला विकसित करना

आज कई बच्चे मोबाइल पर संदेश भेजने और वीडियो देखने में कुशल हैं, लेकिन आमने-सामने बातचीत करने, अपनी भावनाएँ व्यक्त करने और दूसरों की बात ध्यान से सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं।

अच्छा संवाद केवल बोलने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को ध्यान से सुनने, उनके विचारों का सम्मान करने और अपनी बात विनम्रता से रखने की कला है। माता-पिता को बच्चों के साथ प्रतिदिन बातचीत करनी चाहिए। परिवार के साथ भोजन करते समय मोबाइल फोन से दूरी बनाकर एक-दूसरे से बातचीत करना इस दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता है।

संवेदनशीलता और सहानुभूति का विकास

संवेदनशीलता ऐसा गुण है जो बच्चे को दूसरों के दुख, खुशी और समस्याओं को समझने योग्य बनाता है। बच्चों को बुजुर्गों का सम्मान करने, जरूरतमंदों की सहायता करने, पशु-पक्षियों की देखभाल करने और प्रकृति की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

सोशल मीडिया पर किसी का मजाक उड़ाना, अपमानजनक टिप्पणियाँ करना या बिना सोचे-समझे जानकारी साझा करना भी गलत व्यवहार है। बच्चों को यह समझाना आवश्यक है कि डिजिटल दुनिया में भी प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।

माता-पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण

बच्चे अपने माता-पिता के व्यवहार से सबसे अधिक सीखते हैं। यदि माता-पिता हर समय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तो बच्चों से स्क्रीन का सीमित उपयोग करने की अपेक्षा करना कठिन है। इसलिए माता-पिता को स्वयं भी संतुलित डिजिटल आदतें अपनानी चाहिए।

बच्चों को मोबाइल देते समय उनकी उम्र, आवश्यकता और समझ को ध्यान में रखना चाहिए। उपयोग का समय निर्धारित करना, उम्र के अनुसार सामग्री चुनना, ऑनलाइन सुरक्षा की जानकारी देना और बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करना जरूरी है। मोबाइल को बच्चों को चुप कराने या व्यस्त रखने का स्थायी साधन नहीं बनाना चाहिए।

स्कूलों की जिम्मेदारी

स्कूलों का काम केवल पाठ्यक्रम पढ़ाना और परीक्षाओं की तैयारी करवाना नहीं है। उन्हें बच्चों में अच्छे चरित्र, सामाजिक जिम्मेदारी और डिजिटल नागरिकता के गुण भी विकसित करने चाहिए।

सामूहिक गतिविधियों, खेलों, विचार-विमर्श, कहानियों, नाटकों और समाज सेवा के माध्यम से बच्चों में सहयोग, अनुशासन, सहानुभूति और टीम भावना विकसित की जा सकती है। स्कूलों में साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी, निजी जानकारी की सुरक्षा और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग के बारे में भी शिक्षा दी जानी चाहिए।

स्क्रीन और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन

बच्चों का बचपन केवल मोबाइल की स्क्रीन तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्हें बाहर खेलने, किताबें पढ़ने, संगीत, कला, बागवानी और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों और परिवार के साथ प्रत्यक्ष रूप से समय बिताना उनके भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

तकनीक का विरोध करना समाधान नहीं है। वास्तविक आवश्यकता बच्चों को इसका सही, सुरक्षित और संतुलित उपयोग सिखाने की है।

निष्कर्ष

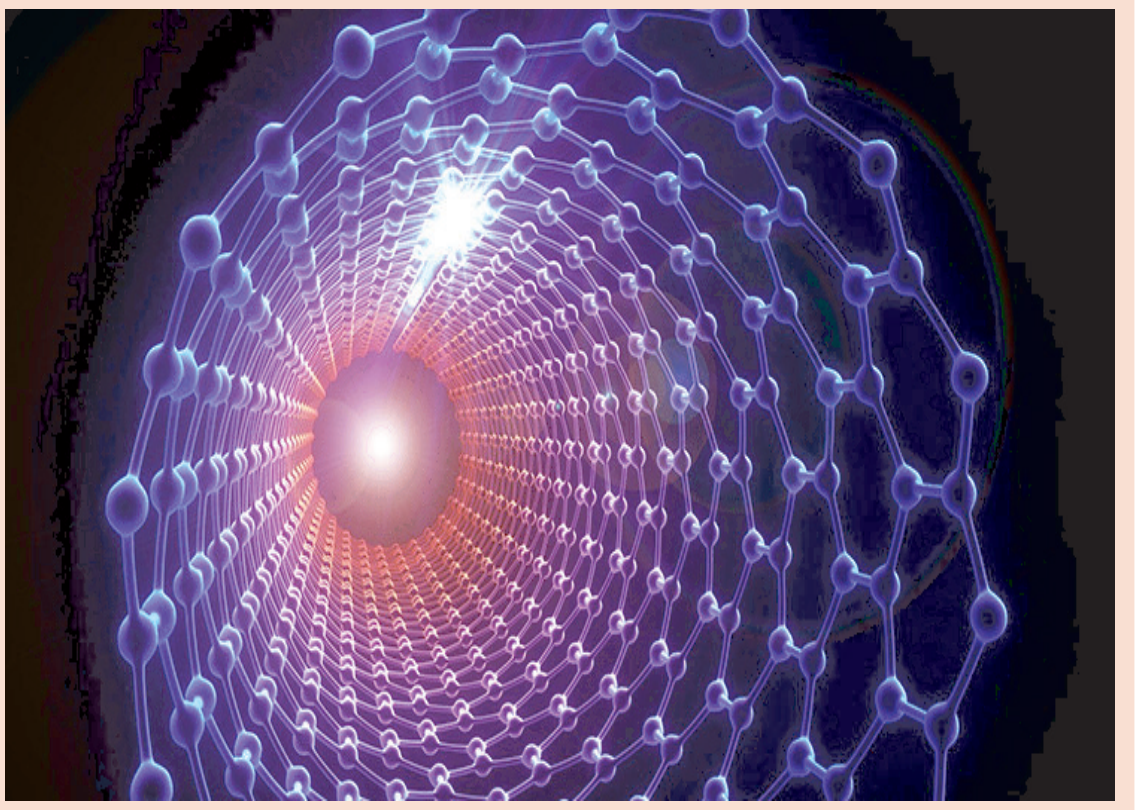
स्मार्टफोन आधुनिक जीवन की आवश्यकता है, लेकिन यह बच्चों के चरित्र, संस्कार और मानवीय संबंधों का विकल्प नहीं बन सकता। बच्चों को स्मार्टफोन देने से पहले उनमें संवाद की कला, संवेदनशीलता, अनुशासन और जीवन-मूल्यों का विकास करना जरूरी है।

हमारा उद्देश्य केवल स्मार्ट बच्चे तैयार करना नहीं, बल्कि समझदार, जिम्मेदार, दयालु और अच्छे इंसान बनाना होना चाहिए। याद रखना चाहिए कि बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन देने से पहले उनके मन में अच्छे संस्कारों की नींव मजबूत करना आवश्यक है। तकनीक बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर सकती है, लेकिन अच्छे संस्कार उन्हें एक बेहतर इंसान बनाते हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल। प्रख्यात वैज्ञानिक
स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर. मलोट, पंजाब –

जब लेज़र बनाते हैं सुपरकंडक्टर: नैनो तकनीक का भविष्य

डॉ. विजय गर्ग



कल्पना कीजिए कि प्रकाश की एक किरण की सहायता से किसी पदार्थ में अत्यंत सटीकता के साथ सुपरकंडक्टिविटी उत्पन्न की जा सकती है। जो बात कभी विज्ञान-कथा जैसी लगती थी, वह आज आधुनिक भौतिक विज्ञान में एक रोमांचक संभावना बन रही है। वैज्ञानिक यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि लेज़र तकनीक के माध्यम से पदार्थों के विद्युत गुणों को अत्यंत छोटे स्तर पर किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। इससे सुपरकंडक्टर और नैनो तकनीक के क्षेत्र में नई संभावनाएँ खुल रही हैं।

सुपरकंडक्टर ऐसे विशेष पदार्थ होते हैं, जो एक निश्चित क्रांतिक तापमान से नीचे ठंडा किए जाने पर बिना किसी विद्युत प्रतिरोध के बिजली का संचालन कर सकते हैं। सामान्य चालकों के विपरीत, ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में नष्ट किए बिना विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। इनमें मीस्नर प्रभाव (Meissner Effect) भी दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत ये उपयुक्त परिस्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र को अपने भीतर से बाहर कर देते हैं। इन विशेषताओं के कारण सुपरकंडक्टर आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, शक्तिशाली चुंबकों, ऊर्जा प्रणालियों और भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

परंपरागत रूप से सुपरकंडक्टिविटी प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष पदार्थों को बहुत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है या उनकी रासायनिक संरचना, दबाव अथवा आंतरिक बनावट में परिवर्तन किया जाता है। लेकिन अब वैज्ञानिक यह जाँच कर रहे हैं कि क्या लेज़र प्रकाश सुपरकंडक्टिविटी को नियंत्रित करने का एक नया तरीका बन सकता है।

लेज़र किरण अत्यंत सटीकता के साथ ऊर्जा प्रदान कर सकती है। जब इसे किसी पदार्थ पर केंद्रित किया जाता है, तो प्रकाश उसके इलेक्ट्रॉनों, परमाणुओं के कंपन और आंतरिक संरचना को प्रभावित कर सकता है। नियंत्रित परिस्थितियों में ये परिवर्तन कुछ पदार्थों में सुपरकंडक्टिविटी उत्पन्न करने या उसे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। शोधकर्ताओं की विशेष रुचि अति-तीव्र लेज़र पल्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं को प्रभावित करने में है।

इस शोध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नैनोस्तरीय इंजीनियरिंग है। नैनो स्तर का अर्थ है एक मीटर के एक अरबवें हिस्से के आकार की माप। इस स्तर पर किसी पदार्थ की संरचना में बहुत छोटा परिवर्तन भी उसके भौतिक गुणों को काफी प्रभावित कर सकता है। लेज़र ऊर्जा को अत्यंत छोटे क्षेत्रों पर केंद्रित करके वैज्ञानिक पूरे पदार्थ को बदले बिना उसके चुनिंदा हिस्सों में सुपरकंडक्टिंग अवस्था उत्पन्न करने या नियंत्रित करने की संभावना तलाश रहे हैं।

यह तकनीक भविष्य में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विकसित करने में मदद कर सकती है, जिनमें सुपरकंडक्टिविटी केवल उन्हीं स्थानों पर मौजूद हो जहाँ इसकी आवश्यकता हो। इस प्रकार की सटीकता से उन्नत सर्किट, नैनो सेंसर और अत्यधिक कुशल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विकसित किए जा सकते हैं।

इस तकनीक के संभावित उपयोग बहुत रोमांचक हैं। सुपरकंडक्टिंग तकनीक अधिक कुशल बिजली संचरण, तेज इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों, संवेदनशील चुंबकीय क्षेत्र पहचानने वाले उपकरणों और बेहतर क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास में योगदान दे सकती है। चिकित्सा क्षेत्र में सुपरकंडक्टिंग चुंबक पहले से ही मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) मशीनों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भविष्य की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ इन तकनीकों को अधिक छोटा, कुशल और सुलभ बना सकती हैं।

हालाँकि, इस क्षेत्र में अभी भी कई वैज्ञानिक चुनौतियाँ मौजूद हैं। लेज़र द्वारा प्रेरित सुपरकंडक्टिविटी अभी सक्रिय शोध का विषय है। कुछ समय के लिए सुपरकंडक्टिविटी जैसी अवस्था प्राप्त करना और एक स्थायी तथा व्यावहारिक सुपरकंडक्टर तैयार करना दो अलग-अलग बातें हैं। वैज्ञानिकों को यह पता लगाना होगा कि ऐसी अवस्थाएँ कितने समय तक बनी रहती हैं, क्या वे अधिक तापमान पर काम कर सकती हैं और उन्हें कितनी कुशलता से नियंत्रित किया जा सकता है। परिणामों की पुनरावृत्ति और ऊर्जा की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण विचारणीय विषय हैं।

लेज़र भौतिकी, पदार्थ विज्ञान और नैनो तकनीक का यह संयोजन भविष्य के अनुसंधान के लिए एक नई और रोमांचक दिशा प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि प्रकाश केवल रोशनी का स्रोत नहीं है, बल्कि पदार्थों के गुणों को विकसित करने और नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली साधन भी बन सकता है।

नैनो तकनीक का भविष्य केवल नए पदार्थों की खोज पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि मौजूदा पदार्थों को असाधारण सटीकता से नियंत्रित करने की क्षमता पर भी निर्भर करेगा। यदि वैज्ञानिक लेज़र प्रकाश की सहायता से सुपरकंडक्टिविटी को विश्वसनीय ढंग से उत्पन्न करने और नियंत्रित करने में सफल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा तकनीक और क्वांटम विज्ञान के क्षेत्रों में नए रास्ते खुल सकते हैं।

सबसे रोमांचक संभावना यह है कि भविष्य में प्रकाश की सहायता से पदार्थों के विद्युत गुणों को नैनो स्तर पर, एक-एक छोटे क्षेत्र में अत्यंत सटीकता के साथ तैयार किया जा सकेगा।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल। प्रख्यात वैज्ञानिक
स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर. मलोट, पंजाब – 152107

जनता के वोटो के बल पर बहुमत पा सरकार बनाने वालो की दृष्टि में श्रद्धालुओं की जान इतनी सस्ती क्यों ?

चारधाम की हवाई सुरक्षा पर गंभीर सवाल, यूकाडा की जवाबदेही तय करने की उठी मांग

- रिपोर्ट : विशेष संवाददाता, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

मुख्य तथ्य - एक दृष्टि में

- ताज़ा हादसा: 30 अक्टूबर 2026, बदरीनाथ से देहरादून जा रहा ट्रांस भारत एविएशन का हेलीकॉप्टर जोशीमठ के पास हादसे का शिकार, पायलट समेत 6 लोगों की मौत

- लंबा सिलसिला: विभिन्न आकलनों में पिछले 17 वर्षों में चारधाम मार्ग पर करीब 15 हेलीकॉप्टर हादसों में 46 से अधिक मौतों का दावा, एक अन्य रिपोर्ट में 2008 से 22 हादसों में 56 मौतों का उल्लेख

- आधिकारिक विश्लेषण: AAIB के अनुसार 2015-2025 के बीच चारधाम सेक्टर में 9 घटनाएं - 8 दुर्घटना और 1 गंभीर घटना, 2022 से हर वर्ष कम से कम एक घातक घटना

- मौसम का सवाल: हादसे वाले दिन चमोली में IMD का ऑरेंज अलर्ट था, तेज बारिश, बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी

- जांच: AAIB और DGCA जांच कर रहे हैं, ऑपरेटर का पूरा बेड़ा ग्राउंड, DGCA ने 2 पायलट अनिवार्य करने का निर्देश दिया

- संपादकीय मांग: जांच सिर्फ कारण तक सीमित न रहे, निर्णय प्रक्रिया और जवाबदेही भी तय हो

प्रस्तावना - आस्था के नाम पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा श्रद्धा, विश्वास और आस्था का प्रतीक है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ - इन चार धामों के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं।

लेकिन जब यही यात्रा बार-बार हेलीकॉप्टर हादसों की खबरों से कलंकित होने लगे, तो एक ही सवाल उठता है -

* आखिर कब तक हादसों के बाद जागेगा तंत्र ?

* कब तय होगी जिम्मेदारी ? और

* कब श्रद्धालु निश्चिंत होकर चारधाम की यात्रा कर सकेंगे ?

ये सवाल आज हर उस परिवार की चिंता हैं, जो अपने प्रियजनों को देवभूमि के दर्शन के लिए भेजता है।

बदरीनाथ हादसा - क्या हुआ ? 30 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 1:12 बजे ट्रांस भारत एविएशन का हेलीकॉप्टर VT-HCX बदरीनाथ से सहस्रधारा, देहरादून के लिए उड़ा। उड़ान के करीब 2 मिनट बाद ही जोशीमठ घाटी में संपर्क टूट गया। bad9

हाथी पर्वत क्षेत्र के चाय / छायी गांव के पास मलबा मिला। पायलट कैप्टन हिमांशु सभरवाल समेत कर्नाटक के 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई।

इस हादसे के बाद यूकाडा ने ऑपरेटर के पूरे बेड़े को ग्राउंड कर दिया। AAIB और DGCA की टीम जांच के लिए पहुंची।

मौसम की अनदेखी या व्यवस्था में खामी ? - सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बेहद तेजी से बदलता है। कुछ ही मिनटों में घने बादल, तेज हवाएं, घाटियों में धुंध और कम दृश्यता उड़ान के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।

हादसे वाले दिन IMD ने चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था - आंधी-तूफान, बिजली, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना थी। 2282

इसी को लेकर दो अलग-अलग दावे सामने आए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है:

यूकाडा का पक्ष: यूकाडा के अतिरिक्त सीईओ ने कहा कि हादसे से करीब एक घंटे पहले सभी उड़ानें रोकने का आदेश दिया गया था, लेकिन ऑपरेटर ने उसका पालन नहीं किया।

दूसरा पक्ष: UCADA के सीईओ ने कहा कि हादसे से पहले और बाद में उड़ान भरने वाले पायलटों ने मौसम को उड़ान योग्य बताया, बादल रिज लाइन से ऊपर थे और दृश्यता ठीक थी, कोई मेडे कॉल नहीं आया।

सच क्या है, यह AAIB की जांच ही बताएगी। लेकिन एक बात तय है - उड़ान रोकना और दोबारा शुरू करना, दोनों ही सैकड़ों जिंदगियों से जुड़े निर्णय हैं। ऐसे निर्णय पारदर्शी, वैज्ञानिक और दस्तावेज़ों के साथ होने चाहिए, मौखिक दावों पर नहीं।

मुख्य सवाल जो जांच में आने चाहिए:

1. ऑरेंज अलर्ट में उड़ान रोकने और बहाल करने का आदेश किसने, कब, किस तकनीकी आधार पर दिया ?

2. क्या मौसम का दोबारा स्वतंत्र तकनीकी परीक्षण हुआ था ?

3. क्या पायलटों को अद्यतन और प्रमाणिक मौसम जानकारी दी गई थी ?

4. क्या उस समय की मौसम रिपोर्ट, तकनीकी आकलन और उड़ान बहाली के निर्णय जांच के दायरे में हैं ?

17 वर्षों का पैटर्न - संयोग नहीं, सिस्टम की चेतावनी AAIB के विश्लेषण के अनुसार, 2015-2025 के बीच चारधाम सेक्टर में 9 घटनाएं हुईं, जिनमें 5 घातक थीं। 2022 से हर साल कम से कम एक घटना हुई। AAIB ने अधिकांश हादसों में मुख्य कारण के रूप में कठिन पहाड़ी मौसम और भू-भाग में SOP का पालन न करना बताया।

राज्यसभा में सरकार ने बताया था कि 2020-2025 के बीच देश में 12 हेलीकॉप्टर हादसों में 30 लोगों की मौत हुई, जिनमें 7 उत्तराखंड में हुए।

इस साल की ही बात करें तो -

- 8 मई को उत्तरकाशी के गंगनानी के पास हादसे में 6 लोगों की मौत

- 15 जून 2025 को गौरीकुंड के पास केदारनाथ-गुप्तकाशी शटल हादसे में 7 लोगों की मौत

- 12 मई को उखीमठ में हेलीकॉप्टर क्रैश-लैंड हुआ

ये आंकड़े बताते हैं कि समस्या किसी एक पायलट या एक कंपनी की नहीं, पूरी व्यवस्था की है।

यूकाडा की भूमिका - नियामक या सिर्फ समन्वयक ? उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण - यूकाडा - चारधाम हेली सेवाओं के संचालन, अनुमति और निगरानी की प्रमुख संस्था है।

संपादकीय सवाल -

- क्या यूकाडा के पास मौसम की जटिल परिस्थितियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ, आधुनिक संसाधन और प्रभावी निगरानी व्यवस्था है ?

- क्या उड़ान से पहले मौसम सूचनाओं का स्वतंत्र सत्यापन होता है ?

- क्या ऑपरेटरों पर नियम तोड़ने पर त्वरित और कठोर कार्रवाई का तंत्र है ?

यदि यूकाडा ने उड़ान रोकने का आदेश दिया और उसका पालन नहीं हुआ, तो यह आदेश की अवहेलना का मामला है। और यदि आदेश के बाद भी निगरानी नहीं हुई, तो यह निगरानी तंत्र की विफलता का मामला है। दोनों ही स्थितियों में जवाबदेही तय होनी चाहिए।

हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जरूरी है ? - सुविधा नहीं, जरूरत हेलीकॉप्टर सेवा बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और उन श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत है, जो दुर्गम पहाड़ी रास्तों से यात्रा करने में असमर्थ हैं।

चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन, अर्थव्यवस्था और हजारों लोगों की आजीविका से भी जुड़ी है।

इसलिए मांग सेवा बंद करने की नहीं है, मांग सेवा को सुरक्षित करने की है। आस्था से बड़ा कोई कारोबार नहीं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है।

हादसे के बाद क्या बदला ? बदरीनाथ हादसे के बाद DGCA ने चारधाम मार्ग पर सभी चार्टर्ड हेलीकॉप्टरों में 2 पायलट अनिवार्य करने का निर्देश दिया। दोनों पायलटों का पहाड़ी इलाके में उड़ान के लिए योग्य होना जरूरी बताया गया।

इस पर 11 ऑपरेटरों ने सेवा निलंबित करने की चेतावनी दी, जिसे लेकर DGCA, यूकाडा और ऑपरेटरों में बैठक भी हुई।

UCADA ने यह भी कहा कि अब पायलटों को हर उड़ान खंड के लिए अलग अनुमति लेनी होगी।

ये कदम स्वागत योग्य हैं, लेकिन सवाल वही है - क्या ये कदम स्थायी व्यवस्था बनेंगे, या अगले हादसे तक ही रहेंगे ?

संपादकीय मांग - 5 ठोस बिंदु

1. जांच सिर्फ कारण नहीं, जवाबदेही भी तलाशें: मुख्यमंत्री द्वारा जांच के आदेश का स्वागत है, लेकिन जांच में यूकाडा, प्रशासन, विमानन संचालकों और निर्णय प्रक्रिया से जुड़े सभी पक्षों की भूमिका की पड़ताल हो।

2. मौसम प्रणाली को वैज्ञानिक बनाएं: हर हेलीपैड पर रियल-टाइम मौसम स्टेशन, क्लाउड-हाइट और विजिबिलिटी की लाइव जानकारी, और स्वतंत्र मौसम विशेषज्ञ की राय अनिवार्य हो। ऑरेंज / रेड अलर्ट में उड़ान बहाली का निर्णय एक व्यक्ति नहीं, तकनीकी समिति करे।

3. 2 पायलट, SOP और ऑडिट: DGCA का 2 पायलट वाला नियम स्थायी हो। हर सीजन से पहले सभी ऑपरेटरों का सुरक्षा ऑडिट, पायलटों की पहाड़ी उड़ान की ट्रेनिंग और हेलीकॉप्टरों की फिटनेस जांच सार्वजनिक हो।

4. पारदर्शिता: हर उड़ान की अनुमति, मौसम रिपोर्ट और निर्णय का डिजिटल रिकॉर्ड बने, जिसे जांच एजेंसी कभी भी देख सके।

5. पीड़ित परिवारों को न्याय: मृतकों के परिवारों को नियमानुसार सहायता, बीमा और जांच रिपोर्ट की जानकारी समय पर मिले। शोक संवेदना ही पर्याप्त नहीं, न्याय भी मिलना चाहिए।

संपादकीय टिप्पणी हादसों के बाद केवल शोक संवेदनाएं, जांच के आदेश और औपचारिक बयान पर्याप्त नहीं हैं। जरूरत ऐसी स्थायी और प्रभावी व्यवस्था की है, जो दुर्घटनाओं को रोक सके और लापरवाही करने वालों की जवाबदेही सुनिश्चित करे।

अब समय आ गया है कि चारधाम की हवाई सेवाओं में सुविधा और व्यावसायिक हितों से ऊपर मानव जीवन को रखा जाए।

क्योंकि श्रद्धा अनमोल है, लेकिन श्रद्धालु का जीवन उससे भी अधिक अनमोल है।

- संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक



एक देश - एक राजनीतिक पार्टी - दो नीति ! दिल्ली में ऑनलाइन शराब की चर्चा - पंजाब में नशा मुक्त का वादा - जनता पूछ रही है, नीति एक जैसी क्यों नहीं ?

- व्यंग्य लेख - प्रस्तावना - नेता जी का मौसम विभाग हमारे देश में एक नया मौसम विभाग खुल गया है - चुनावी मौसम विभाग।

इस विभाग के अनुसार मौसम दो तरह का होता है -

पहला - जहाँ चुनाव हो चुके हैं।

दूसरा - जहाँ चुनाव होने हैं।

और कमाल देखिए, इसी मौसम के हिसाब से नेताओं की नीति, भाषा और वादे भी बदल जाते हैं।

जैसे ही चुनावी बादल छंटते हैं, भाषा भी बदल जाती है। और जैसे ही चुनावी बादल मंडराने लगते हैं, वादों की बारिश शुरू हो जाती है।

दिल्ली वाला अध्याय - चुनाव हो चुके दिल्ली में चुनाव हो चुके हैं। अब जनता ने वोट दे दिया है, सरकार बन गई है, कुर्सी पक्की हो गई है।

अब यहाँ चर्चा चल रही है - शराब ऑनलाइन मंगाने की।

मतलब, अब सुविधा की बात हो रही है। अब आधुनिकता की बात हो रही है। अब डिजिटल इंडिया की बात हो रही है।

जनता सोच रही है - अरे, कल तक तो नशा मुक्ति की बात हो रही थी, आज ऑनलाइन शराब की सुविधा की बात कैसे हो गई ?

नेता जी मुस्कुराकर कहते हैं - समय के साथ बदलना पड़ता है।

जनता मन में कहती है - हाँ, समय मतलब चुनाव का समय।

पंजाब वाला अध्याय - चुनाव होने हैं अब चलिए पंजाब की ओर। यहाँ चुनाव होने हैं। यहाँ अभी वोट पड़ना बाकी है। यहाँ अभी जनता को मनाना है।

इसलिए यहाँ मंच से गर्जना हो रही है - पंजाब को नशा मुक्त करेंगे !

यहाँ नशा दुश्मन है। यहाँ नशा समाज का कलंक है। यहाँ नशा युवाओं का भविष्य खा रहा है।

यहाँ नेता जी हाथ उठाकर, गला फाड़कर, आंखों में आंसू लाकर कहते हैं - हम नशा खत्म कर देंगे !

जनता ताली बजाती है। जनता भावुक हो जाती है। जनता कहती है - वाह, कितने अच्छे नेता हैं !

और नेता जी मन में कहते हैं - बस एक बार चुनाव निकल जाए, फिर देखेंगे।

दो राज्यों की एक कहानी - वादा और व्यवहार

* एक तरफ दिल्ली है, जहाँ चुनाव के बाद शराब ऑनलाइन की चर्चा है।

* दूसरी तरफ पंजाब है, जहाँ चुनाव से पहले नशा मुक्ति का वादा है।

दोनों जगह नेता एक ही हैं। दोनों जगह पार्टी एक ही है। दोनों जगह विचारधारा एक ही है।

फिर नीति दो क्यों हैं ? शायद इसलिए कि -

- दिल्ली में अब जनता से वोट नहीं चाहिए, इसलिए सुविधा चाहिए।

- पंजाब में अभी जनता से वोट चाहिए, इसलिए वादा चाहिए।

वाह ! क्या गणित है ! क्या राजनीति है !

जनता का सवाल - सीधा और सच्चा जनता अब भोली नहीं रही। जनता अब सब समझती है।

जनता पूछ रही है -

1. यदि नशा खराब है, तो दिल्ली में अच्छा कैसे हो गया ?

2. यदि ऑनलाइन शराब सुविधा है, तो पंजाब में नशा मुक्ति का वादा क्यों ?

3. नीति राज्य के हिसाब से बदलती है, या चुनाव के हिसाब से ?

4. वादा और व्यवहार में अंतर क्यों ?

ये सवाल किसी पार्टी के नहीं हैं। ये सवाल हर उस नागरिक के हैं, जो चाहता है कि नेता जो कहे, वही करे।

व्यंग्य का सच - हंसी में छिपा दर्द यह व्यंग्य सिर्फ हंसने के लिए नहीं है। इसके पीछे एक दर्द है।

पंजाब ने नशे का दर्द देखा है। कितने घर उजड़े हैं। कितनी माताओं के लाल छिन गए हैं। कितने युवाओं का भविष्य अंधेरे में डूब गया है।

दिल्ली ने भी नशे का दर्द देखा है। कितने परिवार टूटे हैं। कितनी सड़कों पर हादसे हुए हैं।

नशा किसी भी राज्य में अच्छा नहीं हो सकता। नशा किसी भी मौसम में अच्छा नहीं हो सकता। नशा चुनाव से पहले बुरा और चुनाव के बाद अच्छा नहीं हो सकता।

नशा हमेशा बुरा ही होता है।

नेता जी को सलाह - मुफ्त में नेता जी, एक मुफ्त की सलाह है, बिना चुनावी चंदे के -

एक ही नीति रखिए।
एक ही भाषा रखिए।
एक ही वादा रखिए।

दिल्ली में भी नशा मुक्ति की बात कीजिए, पंजाब में भी नशा मुक्ति की बात कीजिए।

क्योंकि जनता अब स्क्रीनशॉट रखती है। जनता अब रील बनाती है। जनता अब पुराने भाषण निकालकर सामने रख देती है।

आज का जमाना डिलीट का नहीं, स्क्रीनशॉट का है।

अंतिम बात - फैसला जनता का है अंत में फैसला जनता को ही करना है।

जनता को देखना है कि -

- कौन चुनाव से पहले भी वही कहता है, जो चुनाव के बाद भी कहता है ?

- कौन दिल्ली में भी वही कहता है, जो पंजाब में कहता है ?

- कौन वादे के बाद भी उसी वादे पर टिका रहता है ?

क्योंकि - नशा मुक्त समाज ही स्वस्थ समाज है।

सोच समझकर फैसला कीजिए - संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक



आरक्षण में रोटेशन का सवाल - कोर्ट ने गेंद विधायिका के पाले में डाली

परिवहन विशेष न्यूज

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षित सीटों के रोटेशन वाली याचिका खारिज की, मुख्य न्यायाधीश ने कहा - आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं, अपनी आवाज विधायिका के सामने उठाइए

- संपादकीय विभाग, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

मुख्य तथ्य - एक दृष्टि में

- मामला: लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों में समय-समय पर रोटेशन की मांग

- फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी

- पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची

- याचिकाकर्ता की दलील: कई निर्वाचन क्षेत्र वर्ष उन्नीस सौ बहत्तर से आरक्षित बने हुए हैं, इससे कुछ चुनिंदा परिवारों को बार-बार मौका मिलता है, मतदाताओं के पास विकल्प सीमित हो जाते हैं

- न्यायालय की टिप्पणी: रोटेशन की व्यवस्था लागू करना विधायिका का काम है, न्यायपालिका का नहीं

- मुख्य न्यायाधीश की चर्चित टिप्पणी: आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं, यह विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी का अच्छा मौसम है, आप भी ऐसा कर सकते हैं

प्रस्तावना - यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है ?

आरक्षण भारतीय लोकतंत्र का सबसे संवेदनशील और सबसे चर्चित विषय है। यह सामाजिक न्याय का आधार भी है और राजनीतिक बहस का केंद्र भी।

ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट आरक्षित सीटों के रोटेशन की मांग वाली याचिका को खारिज करता है और कहता है कि यह काम विधायिका का है, तो यह फैसला सिर्फ एक याचिका का निपटारा नहीं है, यह संविधान के शक्तियों के बंटवारे की याद भी है।

न्यायपालिका ने साफ कर दिया - हम कानून नहीं बना सकते, हम सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकते हैं। कानून बनाना संसद और विधानसभाओं का काम है।

याचिकाकर्ता का पक्ष - क्या कहा गया ?

याचिकाकर्ता की दलील सीधी थी - कई निर्वाचन क्षेत्र दशकों से आरक्षित बने हुए हैं। वहां से बार-बार उन्हीं चुनिंदा परिवारों, उन्हीं चेहरों को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है।

इससे दो नुकसान होते हैं -

पहला - सामान्य वर्ग के मतदाताओं को उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अवसर कभी नहीं मिलता।

दूसरा - आरक्षित वर्ग के भी अन्य योग्य लोगों को मौका नहीं मिलता, क्योंकि



1. आरक्षण का उद्देश्य क्या है ?

एससी-एसटी आरक्षण का उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ने का मौका देना नहीं है। इसका उद्देश्य सदियों से वंचित, शोषित और हाशिए पर रहे समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना है, ताकि उनकी आवाज संसद और विधानसभा तक पहुंचे।

यदि आरक्षण को बार-बार घुमाया जाता है, तो क्या उस समाज का प्रतिनिधित्व मजबूत होगा या कमजोर ? इस पर अलग-अलग मत हैं।

2. रोटेशन के पक्ष में तर्क

- नए क्षेत्रों को मौका मिलेगा, नए नेताओं का उदय होगा।

- एक ही परिवार का वर्चस्व टूटेगा।

- मतदाताओं के सामने विकल्प बढ़ेंगे।

- आरक्षण का लाभ कुछ परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा।

3. रोटेशन के विपक्ष में तर्क

- यदि सीट बदलती रहेगी, तो जनप्रतिनिधि को क्षेत्र को समझने, काम करने और लोगों से जुड़ने का समय नहीं मिलेगा।

- लंबे समय तक एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने से विकास कार्यों में निरंतरता आती है।

- रोटेशन से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है।

- परिसीमन आयोग पहले से ही जनसंख्या और सामाजिक संरचना के आधार पर सीटें तय करता है।

4. विधायिका की भूमिका क्यों जरूरी है ?

आरक्षित सीटों का निर्धारण परिसीमन, जनगणना, जनसंख्या अनुपात और सामाजिक आंकड़ों जैसे जटिल आधारों पर होता है। यह काम सिर्फ संसद ही कर सकती है, क्योंकि इसके लिए कानून में बदलाव, परिसीमन आयोग का गठन और व्यापक राजनीतिक सहमति चाहिए।

न्यायालय यदि इसमें हस्तक्षेप करता, तो वह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ होता। इसलिए कोर्ट ने अपने अधिकार की सीमा को समझा और गेंद विधायिका के पाले में डाल दी।

जनहित संदेश - जनता के लिए इसका क्या अर्थ है ?

इस फैसले का सीधा अर्थ यह है -

- न्यायालय ने याचिका खारिज की, लेकिन मुद्दा खारिज नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि विधायिका को इस पर कदम उठाना चाहिए।

- अब जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है। सांसदों और विधायकों को इस पर बहस करनी चाहिए, संसद में सवाल उठाना चाहिए।

- जनता की भूमिका सबसे बड़ी है। यदि जनता को लगता है कि रोटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसे शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए।

लोकतंत्र में बदलाव अदालत के आदेश से नहीं, जनता की जागरूकता से आता है।

संपादकीय मांग - पांच ठोस बिंदु

1. संसद में खुली बहस हो: आरक्षण में रोटेशन पर संसद में बिना डर, बिना राजनीति के, तथ्यों के आधार पर बहस हो। सभी दलों को अपनी राय रखनी चाहिए।

2. परिसीमन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक हो: किस आधार पर कौन सी सीट आरक्षित है, यह जानकारी जनता के सामने पारदर्शी रूप से रखी जाए।

3. आंकड़ों पर आधारित समीक्षा हो: कितनी सीटें कितने समय से आरक्षित हैं, वहां से कितने नए चेहरों को मौका मिला, इसका आंकड़ों सहित अध्ययन हो।

4. वंशवाद पर भी चर्चा हो: समस्या सिर्फ आरक्षण की नहीं है, वंशवाद की भी है। चाहे आरक्षित सीट हो या सामान्य सीट, यदि राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित हो जाती है, तो लोकतंत्र कमजोर होता है।

5. सामाजिक न्याय से समझौता न हो: रोटेशन की बहस में सामाजिक न्याय के मूल उद्देश्य को भुलाया न जाए। एससी-एसटी समाज का प्रतिनिधित्व किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहिए।

संपादकीय टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमें संविधान का एक बुनियादी पाठ पढ़ाता है - न्यायपालिका कानून की रखवाली करती है, कानून बनाती नहीं।

विधायिका कानून बनाती है, जनता की आवाज सुनती है।

जनता लोकतंत्र की असली मालिक है, उसकी आवाज ही बदलाव लाती है।

इसलिए इस मुद्दे पर नारेबाजी या टिप्पणी पर हंसने के बजाय, हमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि आरक्षण की व्यवस्था को और अधिक न्यायपूर्ण, पारदर्शी और लोकतांत्रिक कैसे बनाया जाए।

क्योंकि आरक्षण किसी एक वर्ग का नहीं, पूरे लोकतंत्र की आत्मा का सवाल है।

- संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक

परिवहन विशेष समाचार पत्र को जिस तरह आप लोगों के सहयोग लगातार पिछले 3 वर्षों से प्राप्त हुआ और दिन प्रतिदिन आपकी आवाज को आगे पहुंचाने में आपका सहयोगी बना उसको देखते हुए परिवहन विशेष समाचार पत्र के प्रबंधक मंडल और ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज लिमिटेड कंपनी द्वारा जनहित, जनकल्याण जनसूचना और जानकारी को और तेजी से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सभी राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले पहुंचाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह से जनता की आवाज का अपना चैनल "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" शुरु करने का निर्णय लिया है।

जल्द आपके बीच में....

परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन

बड़ी खुशखबरी! अब आपकी आवाज गूंजेगी पूरी दुनिया में

परिवहन विशेष समाचार पत्र के सफल 3 वर्षों के बाद अब नई क्रांति

आशा करते हैं जैसे आपने आज के इस दौर मे "परिवहन विशेष समाचार पत्रों" को इतना आगे ले कर जाने में सहयोग दिया उसी प्रकार हमारे द्वारा आपकी आवाज बनने के लिए शुरु किए जा रहे "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" को विश्व का सबसे बड़ा चैनल बनवाएंगे।



संजय बाठला
मुख्य संपादक

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार : AI सुरक्षा की दिशा में भारत का बड़ा कदम, CERT-In करेगा Claude Mythos की साइबर जांच



पिंकी कुंडू

भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) को उन्नत AI मॉडल Anthropic के Claude Mythos तक पहुंच प्रदान की गई है, ताकि इसकी साइबर सुरक्षा जांच की जा सके और संभावित कमजोरियों की पहचान की जा सके। यह पहल उन्नत AI प्रणालियों के सुरक्षा प्रभावों का मूल्यांकन करने, उनके दुरुपयोग के विरुद्ध उनकी क्षमता को परखने तथा भारत की राष्ट्रीय साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

"जैसे-जैसे AI अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है, वैसे-वैसे AI की सुरक्षा भी नेटवर्क सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण होती जा रही है। CERT-In द्वारा उन्नत AI मॉडलों का परीक्षण इस दिशा में एक सक्रिय कदम है, जिससे साइबर अपराधियों द्वारा उनका दुरुपयोग किए जाने से पहले ही कमजोरियों की पहचान की जा सके।"

प्रमुख बिंदु

1. उन्नत AI प्रणालियों का सुरक्षा मूल्यांकन

– CERT-In, Claude Mythos में संभावित साइबर सुरक्षा कमजोरियों, दुरुपयोग की आशंकाओं तथा जोखिमों की जांच करेगा।

– इस मूल्यांकन का उद्देश्य बड़े पैमाने पर तैनाती से पहले कमजोरियों की पहचान करना है।

2. AI सुरक्षा और संरक्षा पर विशेष ध्यान

– परीक्षण में प्रॉम्प्ट मैनिपुलेशन, जेलब्रेक प्रयासों, हानिकारक सामग्री निर्माण तथा साइबर अपराधियों द्वारा संभावित दुरुपयोग का आकलन शामिल हो सकता है।

– इसका उद्देश्य यह समझना है कि विरोधी (Adversarial) इनपुट मिलने पर उन्नत AI मॉडल किस प्रकार व्यवहार करते हैं।

3. भारत की साइबर तैयारी को मजबूत करना

– यह पहल AI गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है।

– इससे प्राप्त निष्कर्ष भविष्य के नियामक ढांचे, सुरक्षा मानकों और AI तकनीकों की सुरक्षित तैनाती में योगदान दे सकते हैं।

4. सार्वजनिक-निजी सहयोग

– AI प्रणालियों के अधिक शक्तिशाली और व्यापक होने के साथ सरकारी साइबर सुरक्षा एजेंसियों और AI डेवलपर्स के बीच सहयोग का महत्व लगातार बढ़ रहा है।

साइबर सुरक्षा पर प्रभाव

1. दोधारी तलवार के रूप में AI

जहां उन्नत AI मॉडल खतरे की पहचान, घटना प्रतिक्रिया और मैलवेयर विश्लेषण के माध्यम से साइबर सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, वहीं साइबर अपराधी उनका उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों के लिए कर सकते हैं:

– सोशल इंजीनियरिंग अभियान

– फिशिंग सामग्री तैयार करना

– स्वचालित भेद्यता (Vulnerability) अनुसंधान

– दुर्भावनापूर्ण कोड (Malicious Code) विकसित करना

– गलत सूचना एवं प्रभाव संचालन (Disinformation Operations)

2. प्रतिकूल खतरों (Adversarial Threats) के विरुद्ध परीक्षण

सुरक्षा मूल्यांकन यह निर्धारित करने में सहायता कर सकते हैं कि अपराधी:

– अंतर्निहित सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर सकते हैं या नहीं।



– प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के माध्यम से AI के उत्तरों में हेरफेर कर सकते हैं या नहीं।

– हानिकारक साइबर-संबंधित सामग्री उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं।

– मॉडल की कमजोरियों का लाभ उठाकर प्रतिबंधों को पार कर सकते हैं या नहीं।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी प्रासंगिकता

जैसे-जैसे AI महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकीकृत हो रहा है, बड़े भाषा मॉडलों (LLMs) की कमजोरियां निम्नलिखित क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं:

– सरकारी नेटवर्क

– महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical Infrastructure)

– वित्तीय प्रणाली

– सार्वजनिक डिजिटल सेवाएं

– रक्षा एवं खुफिया तंत्र

साइबर अपराध रोकथाम के लिए महत्व

CERT-In को उन्नत AI मॉडल तक पहुंच प्रदान किया जाना पारंपरिक प्रतिक्रियात्मक (Reactive) साइबर सुरक्षा से सक्रिय (Proactive) AI सुरक्षा सत्यापन की ओर बढ़ते कदम को दर्शाता है। वास्तविक दुनिया में कमजोरियों के शोषण की प्रतीक्षा करने के बजाय, सुरक्षा एजेंसियां नियंत्रित वातावरण में परीक्षण करके जोखिमों को पहले से समझने और कम करने का प्रयास कर रही हैं।

यह दृष्टिकोण:

– AI सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाएगा।

– AI प्रणालियों पर विश्वास बढ़ाएगा।

– साइबर अपराधियों के दुरुपयोग की संभावनाओं को कम करेगा।

– AI जोखिम प्रबंधन नीतियों के विकास को समर्थन देगा।

– राष्ट्रीय साइबर लचीलापन (Cyber Resilience) मजबूत करेगा।

सिफारिशें

1. AI मॉडलों के विरुद्ध नियमित रेड-टीम अभ्यास किए जाएं।

2. AI सुरक्षा परीक्षण के मानकीकृत ढांचे विकसित किए जाएं।

3. AI-सक्षम फिशिंग एवं सोशल इंजीनियरिंग रुझानों की लगातार निगरानी की जाए।

4. AI डेवलपर्स और साइबर सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचना साझाकरण को बढ़ावा दिया जाए।

5. AI-सक्षम खतरों की जांच हेतु साइबर अन्वेषकों के लिए विशेष प्रशिक्षण विकसित किया जाए।

CERT-In द्वारा Anthropic के Claude Mythos तक पहुंच प्राप्त करना भारत के विकसित होते AI-सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्नत AI मॉडलों की कमजोरियों और दुरुपयोग की संभावनाओं का व्यवस्थित मूल्यांकन करके भारत उभरते AI-संचालित साइबर खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

आईआईटी कानपुर एवं बीआईटी मेसरा के बीच समझौता अब मिलकर करेगें रिसर्च, इंटर्नशिप



कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, आईआईटी कानपुर और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा के बीच शैक्षणिक और रिसर्च सहयोग को लेकर पांच साल का समझौता हुआ है. इसके तहत दोनों संस्थानों के स्टूडेंट्स और फैकल्टी एक-दूसरे के साथ मिलकर रिसर्च, इंटर्नशिप और शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे. साथ ही, मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स को संयुक्त रूप से रिसर्च गाइडेंस भी मिलेगी

इस समझौते पर आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल और BIT मेसरा के वाइस चांसलर प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना ने हस्ताक्षर किए. BIT मेसरा के वाइस चांसलर ने कहा कि इस साझेदारी से स्टूडेंट्स और फैकल्टी को एडवांस रिसर्च करने, विशेषज्ञों से सीखने और राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं पर काम करने के नए अवसर मिलेंगे.

दोनों संस्थानों के बीच पांच प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा. इसमें अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट रिसर्च, स्टूडेंट एक्सचेंज, इंटर्नशिप, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स की संयुक्त गाइडेंस और शैक्षणिक कार्यक्रम शामिल हैं. इसके अलावा, दोनों संस्थानों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे.

समझौते के तहत अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स तीसरे साल से रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर सकेंगे. वहीं, पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पहले सेमेस्टर से रिसर्च में शामिल होने का अवसर मिलेगा. दोनों संस्थानों के फैकल्टी सदस्य मिलकर इन प्रोजेक्ट्स का मार्गदर्शन करेंगे.

इसके अलावा, स्टूडेंट्स समर और विंटर इंटर्नशिप, शॉर्ट टर्म कोर्स और वर्कशॉप में भी हिस्सा ले सकेंगे.

इस साझेदारी के तहत BIT मेसरा के स्टूडेंट्स को आईआईटी कानपुर की विशेष रिसर्च लैब और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा. दोनों संस्थान अपनी रिसर्च सुविधाएं साझा करेंगे. इसके साथ ही फैकल्टी एक्सचेंज और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे. कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी.

यह समझौता पांच साल के लिए किया गया है. इसका उद्देश्य दोनों संस्थानों की शैक्षणिक और रिसर्च क्षमता को जोड़ना है. इससे स्टूडेंट्स को बेहतर रिसर्च गाइडेंस, इंटर्नशिप और एक्सचेंज प्रोग्राम का लाभ मिलेगा. हालांकि, अलग-अलग गतिविधियों में भागीदारी संबंधित कार्यक्रमों की शर्तों के अनुसार होगी.

झारखंड में कोयला चुनरही तीन महिला कोयला धंसने से दब गयी

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, झारखंड के बोकारो जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के बेरमो कोयलांचल अंतर्गत सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र की कथारा कोलियरी के पांच नंबर स्टॉक यार्ड में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा गुरुवार सुबह कोयला चुनने के क्रम में ऊपर से स्टॉक का कोयला धंसने से दबकर तीन महिलाओं की मौत हो गई। इनमें कोलियरी से सटे बांध बस्ती की कौशल्या देवी, पुष्पा देवी व सोहरी देवी शामिल है।दो मृतका यादव समाज से जबकि एक मृतका रजवार समाज से है। वहीं इसी घटना में इसी इलाके की अन्य तीन महिलाएं व एक पुरुष घायल हो गए।

घटना के बाद तुरंत कोयला चुनने वाले अन्य ग्रामीण व परिजन जुट गए। फिर सभी को सीसीएल कथारा क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया था। परंतु यहां जांच के क्रम में तीन महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस और सीसीएल प्रबंधन के अधिकारी भी पहुंचे। फिर आवश्यक कार्रवाई की जाने लगी। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल तेनुघाट भेजने की तैयारी चल रही थी।

बता दें कि बेरमो कोयलांचल में कोलियरियों के आसपास के क्षेत्रों में बसे अधिकांश लोग आज भी या तो चालू कोलियरियों से या तो बंद



कोलियरियों से कोयला निकाल कर या तो फिर रेलवे रैक से कोयला उतार कर जलावन के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ इन्हें धंधेबाजों के पास बेचकर घर का जीविकोपार्जन करते हैं। सीसीएल प्रबंधन-सीआईएसएफ तथा पुलिस-प्रशासन की सख्ती के समय यह बंद रहता है। उसके बाद फिर ग्रामीण अपने काम में जुट जाते हैं। इस दौरान जान गंवाने का भी मानो इन्हें कोई गम नहीं रहता है।

हाईकोर्ट ने दिया नागड्रर्स पोर्टल के प्रतिबंधित जमीन की सूची हटाने का निर्देश

यदि विक्रेता के पास स्पष्ट मालिकाना हक नहीं तो रजिस्ट्रारी उस कमी को दुर नहीं कर सकता ,रजिस्ट्रार को मालिकाना हक तैयार करने का अधिकार नहीं : हाईकोर्ट

कार्तिक कुमार परिच्छा स्टेट हेड - झारखंड

रांची , झारखंड में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने हजारीबाग से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार को नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी NGDRS पोर्टल पर दर्ज प्रतिबंधित जमीनों की सूची तत्काल हटाने का निर्देश दिया है. साथ ही स्पष्ट किया है कि राज्य के सब-रजिस्ट्रार जमीन के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों की रजिस्ट्री केवल इस आधार पर नहीं रोक सकते कि संबंधित जमीन प्रतिबंधित सूची में दर्ज है. यदि दस्तावेज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 और बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1937 की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, तो उनकी रजिस्ट्री करनी होगी.

यह आदेश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अमित रंजन की ओर से दायर रिट याचिका नं 7703/2026 पर सुनवाई करते हुए 5 नवंबर 2026 को दिया.

याचिकाकर्ता ने हजारीबाग जिले के इचाक अंचल के बोंगा गांव स्थित अपनी 42 डिसमिल जमीन को प्रतिबंधित सूची से हटाने के लिए आवेदन दिया था. जमीन खाता संख्या 154 और प्लॉट संख्या 1606 के अंतर्गत आती है. याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी जमीन को रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-A के तहत प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है, जबकि इस संबंध में दिए गए आवेदन पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हिमांशु हर्ष ने दलील पेश की.

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहिताश्व राय ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के खंडपीठ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो एसएलपी दायर की गई है. ये मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. हालांकि हाईकोर्ट ने संबंधित आदेशों का अवलोकन करते हुए पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है. राज्य सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि इस विषय पर नया कानून लाने की प्रक्रिया चल रही है.

अदालत ने अपने आदेश में इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-A और अधिसूचना के 1 मई 2025 को निरस्त होने के बावजूद NGDRS पोर्टल पर प्रतिबंधित जमीनों की सूची अब भी दिखाई दे रही है. इसके कारण जिलों के सब-रजिस्ट्रार ऐसी जमीनों से संबंधित वैध बिक्री दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने से मना कर रहे हैं. इससे जमीन मालिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी संख्या में प्रभावित लोग हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं. अदालत ने कहा कि इस स्थिति से अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ रही है.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू भी स्पष्ट किया. अदालत ने कहा कि किसी जमीन की रजिस्ट्री हो जाने मात्र से खरीदार को निर्विवाद मालिकाना हक नहीं मिल जाता. यदि विक्रेता के पास जमीन का वैध और स्पष्ट मालिकाना हक नहीं है, तो रजिस्ट्री उस कमी को दूर नहीं कर सकती. रजिस्ट्रेशन एक्ट का उद्देश्य अचल संपत्ति से जुड़े लेन-देन में पारदर्शिता, दस्तावेजों का सार्वजनिक रिकॉर्ड और धोखाधड़ी से सुरक्षा सुनिश्चित करना है. रजिस्ट्री दस्तावेज के निष्पादन की सार्वजनिक सूचना देती है, लेकिन इससे दस्तावेज की वैधता या मालिकाना हक अपने आप प्रमाणित नहीं हो जाता

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के के गोपी बनाम सब-रजिस्ट्रार एवं अन्य मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया. इस फैसले के अनुसार रजिस्ट्रेशन अधिकारी को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि जमीन बेचने वाले व्यक्ति के पास उस संपत्ति का मालिकाना हक है या नहीं. रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 या बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1937 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत केवल मालिकाना हक को लेकर विवाद होने या विक्रेता के टाइटल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर रजिस्ट्री से इनकार किया जा सके. यदि पक्षकार दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकार करते हैं और निर्धारित प्रक्रियाओं, स्टांप ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क की शर्तें पूरी हैं, तो रजिस्ट्रेशन अधिकारी को दस्तावेज का निबंधन करना होगा.

अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक नीति का हवाला देकर याचिकाकर्ता और इसी तरह के अन्य जमीन मालिकों की संपत्तियों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया, लेकिन उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया. किसी व्यक्ति को अपनी जमीन हस्तांतरित करने से रोकना गंभीर नागरिक परिणाम पैदा करता है. इसलिए ऐसी कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना जरूरी है

सभी तथ्यों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने रिट याचिका निष्पादित करते हुए राज्य सरकार को तीन महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

पुरी में 1,500 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा 'अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल'

ओडिशा में समुद्री पर्यटन और अर्थव्यवस्था का होगा व्यापक विस्तार : सुजीत दास

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर: प्राकृतिक सौंदर्य और विशाल समुद्री तटों से परिपूर्ण ओडिशा में पर्यटन उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्राचीन काल में ओडिशा के साधव पुत्रों द्वारा जावा, सुमात्रा और बोर्नियो जैसे विदेशी क्षेत्रों में किए गए व्यापार के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनने के बाद पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास, आधुनिकीकरण और विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

इसी क्रम में पुरी को एक वास्तविक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सड़क, रेल, हवाई और जल परिवहन के साथ-साथ होटल उद्योग के विकास पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इस दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य सरकार और पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के संयुक्त सहयोग से 1,500 करोड़ रुपये के निवेश से पुरी में एक अत्याधुनिक **'अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल'** का निर्माण किया जाएगा।

इस महत्वपूर्ण पहल के लिए भाजपा के राज्य मीडिया संयोजक श्री सुजीत दास ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी तथा राज्य सरकार के प्रति हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। इस परियोजना के महत्व और संभावित प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए श्री दास ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल स्थापित होने



से दुनिया के विभिन्न देशों से बड़े-बड़े क्रूज जहाज सीधे पुरी पहुंच सकेंगे। इससे विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में इस व्यापक विकास से होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप हजारों युवक-युवतियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होगी।

श्री दास ने कहा कि भगवान श्रीजगन्नाथ की पावन धरा पुरी को आधुनिक समुद्री पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में वैश्विक पहचान दिलाने में यह परियोजना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने आगे कहा कि ओडिशा के गौरव और समृद्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार जो कदम उठा रही है, वे **'विकसित भारत-2047'** और **'समृद्ध ओडिशा-2036'** के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023